



उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2019-2020 के
आय-व्ययक में
सम्मिलित
व्यय की नई मांग

फरवरी, 2019

उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2019-2020 के
आय-व्ययक में
सम्मिलित
व्यय की नई मांग

प्रस्तावनिक टिप्पणी

इस खण्ड में आय-व्ययक साहित्य के विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत सम्मिलित व्यय की नई मांग की सूची एवं व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दी गई हैं, जिससे आय-व्ययक साहित्य के अध्ययन में सुविधा होगी ।

इस खण्ड में कुछ ऐसी योजनायें / परियोजनायें भी सम्मिलित हैं जिनकी विस्तृत स्क्रूटनी नहीं की जा सकी है । ऐसी योजनाओं / परियोजनाओं की स्वीकृति जारी होने से पूर्व विस्तृत स्क्रूटनी कर ली जायेगी ।

वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में व्यय की नई मांग द्वारा सम्मिलित प्रावधान का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

	(₹ लाख में)
क- राजस्व लेखा	951118.96
ख- पूंजी लेखा	1170175.84
कुल योग :	<u>2121294.80</u>

अनुदान/क्रम संख्या	विभाग का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	(₹ लाख में)		टिप्पणी का योग निर्देश पृष्ठ	
			पूँजी लेखे का व्यय			
			पूँजीगत	ऋण		
1	2	3	4	5	6	7
002	आवास विभाग	...	100000.00	...	100000.00	
003	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	1000.00	1000.00	
005	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	1000.00	1000.00	
007	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	37.69	11000.00	...	11037.69	
009	ऊर्जा विभाग	507692.00	57395.00	...	565087.00	
010	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	1017.40	1017.40	
011	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	5491.00	5491.00	
012	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	60000.00	60000.00	
013	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	...	5000.00	...	5000.00	
014	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2500.00	2500.00	...	5000.00	
015	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2218.16	200.00	...	2418.16	
016	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	688.72	...	5623.00	6311.72	
017	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	881.68	881.68	
021	खाद्य तथा रसद विभाग	75.00	4978.46	...	5053.46	
022	खेल विभाग	...	2160.69	...	2160.69	
023	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	...	6726.00	...	6726.00	
024	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	...	2900.00	107157.84	110057.84	
025	गृह विभाग (कारागार)	...	60.50	...	60.50	
026	गृह विभाग (पुलिस)	...	200900.00	...	200900.00	
027	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	...	81.18	...	81.18	
031	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1100.01	85800.08	...	86900.09	
032	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	111022.99	111022.99	
033	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	102.77	1000.00	...	1102.77	
034	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	39.21	280.53	...	319.74	
037	नगर विकास विभाग	200.00	200.00	
039	भाषा विभाग	18.20	18.20	
040	नियोजन विभाग	400.00	100004.00	...	100404.00	

अनुदान/क्रम संख्या	विभाग का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	(₹ लाख में)		टिप्पणी का योग निर्देश पृष्ठ	
			पूँजी लेखे का व्यय			
			पूँजीगत	ऋण		
1	2	3	4	5	6	7
042	न्याय विभाग	200.00	21000.00	...	21200.00	
044	पर्यटन विभाग	...	1000.00	...	1000.00	
049	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	133458.90	133458.90	
050	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	...	6595.37	...	6595.37	
052	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	...	292.00	...	292.00	
055	लोक निर्माण विभाग (भवन)	200.00	2900.00	...	3100.00	
056	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	...	34000.00	...	34000.00	
057	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	7700.00	23500.00	...	31200.00	
058	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़के)	...	213478.00	...	213478.00	
059	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	940.52	940.52	
060	वन विभाग	20267.00	1892.50	...	22159.50	
061	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	52500.00	52500.00	
067	विधान परिषद् सचिवालय	...	799.28	...	799.28	
068	विधान सभा सचिवालय	377.13	136.65	...	513.78	
070	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1016.80	1016.80	
071	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	10.00	490.00	...	500.00	
072	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	752.66	752.66	
073	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	263.60	1500.00	...	1763.60	
074	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	500.00	500.00	
076	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	...	5000.00	...	5000.00	
079	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	4311.25	3654.75	...	7966.00	
081	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	228.82	228.82	
083	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	31707.45	71468.00	...	103175.45	
089	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	...	3000.00	...	3000.00	
091	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	500.00	500.00	
092	संस्कृति विभाग	...	1102.00	...	1102.00	
094	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	700.00	84600.01	...	85300.01	
कुलयोग		951118.96	1057395.00	112780.84	2121294.80	

वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
002	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1-आगरा में मेट्रो रेल परियोजना का क्रियान्वयन	17500.00
	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	2-कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना का क्रियान्वयन	17500.00
	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	3-दिल्ली - गाजियाबाद - मेरठ कॉरीडोर रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर.आर.टी.एस.) परियोजना	40000.00
	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	4-प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	10000.00
	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	5-वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज एवं झाँसी में मेट्रो रेल परियोजना	15000.00
		लेखा शीर्ष 4217 का योग	100000.00
		अनुदान संख्या 002 का योग	100000.00
003	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	1-उ.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017	1000.00
		लेखा शीर्ष 2851 का योग	1000.00
		अनुदान संख्या 003 का योग	1000.00
005	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	1-उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड	1000.00
		लेखा शीर्ष 2851 का योग	1000.00
		अनुदान संख्या 005 का योग	1000.00
007	2852-उद्योग	1-आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की वेबसाइट का सिक्योरिटी, आडिट एवं वार्षिक अनुरक्षण	2.69
	2852-उद्योग	2-आप्टिकल फाइबर एवं मोबाइल टावर की स्थापना हेतु आनलाईन आवेदन प्रक्रिया	35.00
		लेखा शीर्ष 2852 का योग	37.69
	4859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3-प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था	1000.00
		लेखा शीर्ष 4859 का योग	1000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-आगरा - लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेस-वे परियोजना	10000.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	10000.00
		अनुदान संख्या 007 का योग	11037.69
009	2801-बिजली	1-उदय योजनान्तर्गत यू.पी.पी.सी.एल. को स्वीकृत ब्याज रहित ऋण का अनुदान में परिवर्तन	489172.00

वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	2801-बिजली	2-पारेषण क्षेत्र की अवस्थापना योजनाओं हेतु पी.एफ.सी. से लिये गये ऋण की अदायगी	8103.00
	2801-बिजली	3-वितरण क्षेत्र की अवस्थापना योजनाओं हेतु पी.एफ.सी. से लिये गये ऋण की अदायगी	10417.00
		लेखा शीर्ष 2801 का योग	507692.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-अनपरा 'द' तापीय विद्युत परियोजना	10300.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त एच.टी.इन्फ्रास्ट्रक्चर	42900.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6-सहरपुर - जमारपानी (झारखण्ड) कोल ब्लॉक का विकास	1277.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	7-हरदुआगंज एवं पारीछा 'ब' तथा 'स' तापीय परियोजना	2918.00
		लेखा शीर्ष 4801 का योग	57395.00
		अनुदान संख्या 009 का योग	565087.00
010	2401-फसल कृषि कर्म	1-ग्राम समृद्धि योजना	1000.00
		लेखा शीर्ष 2401 का योग	1000.00
	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	2-शहतूती रेशम के लिये नर्सरी पौध उत्पादन योजना	17.40
		लेखा शीर्ष 2851 का योग	17.40
		अनुदान संख्या 010 का योग	1017.40
011	2401-फसल कृषि कर्म	1-नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ओ.एस./टी.बी.ओ.)	1840.00
	2401-फसल कृषि कर्म	2-वैज्ञानिकी कृषि एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाव का प्रबन्धन	1507.00
		लेखा शीर्ष 2401 का योग	3347.00
	2402-मृदा तथा जल संरक्षण	3-उ.प्र. में गंगा बेसिन में आर्गेनिक फार्म क्लस्टर की स्थापना	2144.00
		लेखा शीर्ष 2402 का योग	2144.00
		अनुदान संख्या 011 का योग	5491.00
012	2705-कमान क्षेत्र विकास	1-अर्जुन सहायक परियोजना	10000.00
	2705-कमान क्षेत्र विकास	2-सरयू नहर परियोजना फेज-III	50000.00

वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 2705 का योग	60000.00
		अनुदान संख्या 012 का योग	60000.00
013	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत हर खेत को पानी	5000.00
		लेखा शीर्ष 4702 का योग	5000.00
		अनुदान संख्या 013 का योग	5000.00
014	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें	1-युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन	2500.00
		लेखा शीर्ष 2070 का योग	2500.00
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-18 मिनी स्टेडियमों का निर्माण	2500.00
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	2500.00
		अनुदान संख्या 014 का योग	5000.00
015	2403-पशु पालन	1-100 प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन हेतु नये 'मैत्री' की उपलब्धता की योजना	0.01
	2403-पशु पालन	2-पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन सेवाओं में गुणात्मक सुधार योजना	0.01
	2403-पशु पालन	3-पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ-अनुसंधान संस्थान, मथुरा	200.00
	2403-पशु पालन	4-रूरल बैकयार्ड के अन्तर्गत बकरी पालन की योजना	1054.94
	2403-पशु पालन	5-रूरल बैकयार्ड के अन्तर्गत भेड़ पालन की योजना	826.25
	2403-पशु पालन	6-रूरल बैकयार्ड के अन्तर्गत सूकर पालन की योजना	136.95
		लेखा शीर्ष 2403 का योग	2218.16
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	7-निदेशालय, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश स्थित विभिन्न भवनों का सुदृढीकरण	200.00
		लेखा शीर्ष 4403 का योग	200.00
		अनुदान संख्या 015 का योग	2418.16
016	2404-डेरी विकास	1-उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद् को सहायता	536.68
	2404-डेरी विकास	2-केन्द्रीय हरा चारा विकास योजना में हरा चारा उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम	152.04

वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 2404 का योग	688.72
6404	डेरी विकास के लिए कर्ज	3-मथुरा में नवीन डेरी की स्थापना	5623.00
		लेखा शीर्ष 6404 का योग	5623.00
		अनुदान संख्या 016 का योग	6311.72
017	2405-मछली पालन	1-मत्स्य पालक विकास अभिकरण	881.68
		लेखा शीर्ष 2405 का योग	881.68
		अनुदान संख्या 017 का योग	881.68
021	2408-खाद्य भण्डारण तथा भांडागार	1-राज्य खाद्य आयोग का सुदृढीकरण	75.00
		लेखा शीर्ष 2408 का योग	75.00
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-जिला उपभोक्ता फोरमों का सुदृढीकरण	4518.43
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	4518.43
4408	खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	3-इंटीग्रेटेड मैनेजमेन्ट ऑफ पी.डी.एस. (आई.एम.पी.डी.एस.) योजना	460.03
		लेखा शीर्ष 4408 का योग	460.03
		अनुदान संख्या 021 का योग	5053.46
022	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1-के.डी.सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ में तरणताल का कार्य	603.66
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2-जनपद औरैया में स्टेडियम का निर्माण	100.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	3-जनपद प्रयागराज के तरणताल का जीर्णोद्धार	50.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4-जनपद वाराणसी के लालपुर स्टेडियम का जीर्णोद्धार	100.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	5-वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर में पैवेलियन का निर्माण	500.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	6-स्पोर्ट्स स्टेडियम, अमेठी में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	200.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	7-स्पोर्ट्स स्टेडियम, झाँसी में जिम्नास्टिक हॉल	300.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8-स्पोर्ट्स स्टेडियम, फर्रुखाबाद में विभिन्न निर्माण कार्य	200.00

वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	9-स्पोर्ट्स स्टेडियम, बरेली में निर्माण कार्य	22.03
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	10-स्पोर्ट्स स्टेडियम, मुरादाबाद में क्रीडाहॉल का जीर्णोद्धार	40.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	11-स्पोर्ट्स स्टेडियम, सीतापुर में क्रीडाहॉल का जीर्णोद्धार	45.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	2160.69
		अनुदान संख्या 022 का योग	2160.69
023	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	1-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण	5694.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	2-चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित संपर्क मार्गों का सुदृढीकरण	1032.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	6726.00
		अनुदान संख्या 023 का योग	6726.00
024	4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	1-गन्ना शोध केन्द्र, गोरखपुर की पुनर्स्थापना	2900.00
		लेखा शीर्ष 4415 का योग	2900.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	2-उ.प्र.राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान	2500.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	3-उ.प्र. सहकारी चीनी मिलों को कर्ज	2500.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	4-चीनी मिल - पिपराईच, गोरखपुर में नई चीनी मिल एवं को-जनरेशन प्लाण्ट तथा आसवनी की स्थापना	12500.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	5-चीनी मिल - मुण्डेरवा, बस्ती में नई चीनी मिल एवं को-जनरेशन प्लाण्ट तथा आसवनी की स्थापना	9100.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	6-रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के अवशेष देयों का भुगतान	1845.35
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	7-सरकारी क्षेत्र की बन्द पड़ी चीनी मिलों का पुनर्संचालन	5000.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	8-सहकारी क्षेत्र की बन्द पड़ी चीनी मिलों का पी.पी.पी. मोड में पुनर्संचालन	2500.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	9-सहकारी चीनी मिल, रमाला का विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण	9614.49
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	10-सहकारी चीनी मिलों की कार्यक्षमता में सुधार एवं आधुनिकीकरण	10000.00

वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		11-सहकारी चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान	50000.00
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		12-सहकारी चीनी मिलों में ट्रीटिड वाटर इरीगेशन सिस्टम एवं रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम	1598.00
		लेखा शीर्ष 6860 का योग	107157.84
		अनुदान संख्या 024 का योग	110057.84
025 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		1-जिला कारागारों हेतु ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरण की व्यवस्था	60.50
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	60.50
		अनुदान संख्या 025 का योग	60.50
026 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय		1-पुलिस विभाग के विभिन्न कार्य	200900.00
		लेखा शीर्ष 4055 का योग	200900.00
		अनुदान संख्या 026 का योग	200900.00
027 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		1-नागरिक सुरक्षा संगठन का सुदृढीकरण	81.18
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	81.18
		अनुदान संख्या 027 का योग	81.18
031 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		1-मा. अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	1000.00
2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		2-राजकीय मेडिकल कालेज, जौनपुर	100.01
		लेखा शीर्ष 2210 का योग	1100.01
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		3-जिला चिकित्सालय, एटा का मेडिकल कॉलेज में उच्चिकरण	10600.01
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		4-जिला चिकित्सालय, गाजीपुर का मेडिकल कॉलेज में उच्चिकरण	10600.01
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		5-जिला चिकित्सालय, देवरिया का मेडिकल कॉलेज में उच्चिकरण	10600.01
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		6-जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ का मेडिकल कॉलेज में उच्चिकरण	10600.01
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		7-जिला चिकित्सालय, फतेहपुर का मेडिकल कॉलेज में उच्चिकरण	10600.01

वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8-जिला चिकित्सालय, मीरजापुर का मेडिकल कॉलेज में उच्चीकरण	10600.01
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	9-जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर का मेडिकल कॉलेज में उच्चीकरण	10600.01
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	10-जिला चिकित्सालय, हरदोई का मेडिकल कॉलेज में उच्चीकरण	10600.01
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	11-रायबरेली में एम्स की स्थापना	1000.00
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	85800.08
		अनुदान संख्या 031 का योग	86900.09
032	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1-आयुष्मान भारत - नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन	102269.42
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2-आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना	8753.57
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	111022.99
		अनुदान संख्या 032 का योग	111022.99
033	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1-आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना	0.02
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2-नर्सिंग एवं फार्मासिस्ट के पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम का संचालन	5.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3-यूनानी महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में इनोवेशन कार्यक्रम	20.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	4-राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना	39.21
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	5-लखनऊ में गठिया उपचार एवं शोध के लिये उन्नति केन्द्र	38.54
		लेखा शीर्ष 2210 का योग	102.77
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	6-आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना	1000.00
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	1000.00
		अनुदान संख्या 033 का योग	1102.77
034	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1-होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना	39.21
		लेखा शीर्ष 2210 का योग	39.21
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना	280.53

वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	280.53
		अनुदान संख्या 034 का योग	319.74
037	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1-सीवर सफाई के दौरान सफाई कर्मियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता	200.00
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	200.00
		अनुदान संख्या 037 का योग	200.00
039	2202-सामान्य शिक्षा	1-स्व. गोपाल दास नीरज स्मृति - पुरस्कार योजना	18.20
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	18.20
		अनुदान संख्या 039 का योग	18.20
040	3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें	1-बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन	400.00
		लेखा शीर्ष 3451 का योग	400.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-त्वरित आर्थिक विकास योजना	5000.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	5000.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	3-त्वरित आर्थिक विकास योजना	4002.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	4002.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4-त्वरित आर्थिक विकास योजना	2.00
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	2.00
	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	5-त्वरित आर्थिक विकास योजना	23000.00
		लेखा शीर्ष 4215 का योग	23000.00
	4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6-त्वरित आर्थिक विकास योजना	3000.00
		लेखा शीर्ष 4250 का योग	3000.00
	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	7-त्वरित आर्थिक विकास योजना	500.00
		लेखा शीर्ष 4406 का योग	500.00
	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8-त्वरित आर्थिक विकास योजना	500.00

वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 4702 का योग	500.00
4801-	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	9-त्वरित आर्थिक विकास योजना	14000.00
		लेखा शीर्ष 4801 का योग	14000.00
5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	10-त्वरित आर्थिक विकास योजना	50000.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	50000.00
		अनुदान संख्या 040 का योग	100404.00
042	2014-न्याय प्रशासन	1-राज्य लोक सेवा अधिकरण में ई-कोर्ट, काजलिस्ट डिस्प्ले सिस्टम एवं अभिलेखों का डिजिटाइजेशन	200.00
		लेखा शीर्ष 2014 का योग	200.00
4059-	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-अधीनस्थ न्यायालयों में अग्निशमन प्रणाली की स्थापना	2000.00
4059-	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में मल्टीलेवल पार्किंग एवं एडवोकेट चैम्बर का निर्माण	15000.00
4059-	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4-मा. उच्च न्यायालय के उपयोगार्थ काफ़्रेस हाल एवं वी.वी.आई.पी. सूट का निर्माण	4000.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	21000.00
		अनुदान संख्या 042 का योग	21200.00
044	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	1-उत्तर प्रदेश में ईको टूरिज्म का विकास	500.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	2-जनपद अलीगढ़ में फूड क्राफ्ट संस्थान के भवन हेतु भूमि क्रय	500.00
		लेखा शीर्ष 5452 का योग	1000.00
		अनुदान संख्या 044 का योग	1000.00
049	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1-कन्या सुमंगला योजना	120000.00
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2-बाल विकास एवं पुष्पहार निदेशालय	13458.90
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	133458.90
		अनुदान संख्या 049 का योग	133458.90
050	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-प्रदेश के मण्डल / जनपद / तहसीलों के अनावासीय भवनों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / विस्तार / सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय	1500.00

वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	1500.00
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय		2-प्रदेश के मण्डल / जनपद / तहसीलों के आवासीय भवनों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / विस्तार / सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय	5095.37
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	5095.37
		अनुदान संख्या 050 का योग	6595.37
052	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-राजस्व परिषद् के अनावासीय भवनों में निर्माण	274.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	274.00
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय		2-राजस्व परिषद् के आवासीय भवनों में विभिन्न निर्माण कार्य	18.00
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	18.00
		अनुदान संख्या 052 का योग	292.00
055	2059-लोक निर्माण कार्य	1-सर्किट हाउस / निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवन	200.00
		लेखा शीर्ष 2059 का योग	200.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-अधिकारी हास्टल एवं ट्रांजिट हास्टल का निर्माण	250.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-अनावासीय भवनों का उन्नयन / सुदृढीकरण	305.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4-आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग	30.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	5-कार्यालय भवनों का निर्माण	100.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	6-कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार	25.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	7-दिव्यांगजनों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान	30.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	8-निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार	900.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	9-राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य	130.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	10-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण	50.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	11-सर्किट हाउस / निरीक्षण भवन में जनरेटर की स्थापना	80.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	1900.00
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय		12-आवासीय भवनों का निर्माण	500.00

वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	13-जनपदों में पूलड आवासों का निर्माण	400.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	14-राजभवन, लखनऊ परिसर में लघु निर्माण कार्य	100.00
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	1000.00
		अनुदान संख्या 055 का योग	3100.00
056	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	1-पूर्वांचल क्षेत्र की विशेष योजनायें	20000.00
	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	2-बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें	14000.00
		लेखा शीर्ष 4575 का योग	34000.00
		अनुदान संख्या 056 का योग	34000.00
057	3054-सडक तथा सेतु	1-उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा सेतुओं के निर्माण के लिये विन्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन का भुगतान	7700.00
		लेखा शीर्ष 3054 का योग	7700.00
	5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-ग्रामीण सेतुओं का निर्माण	9000.00
	5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण	5500.00
	5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)	9000.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	23500.00
		अनुदान संख्या 057 का योग	31200.00
058	5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण / उच्चीकरण	110.00
	5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-अन्तर्राज्यीय / अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पडने वाले मार्गों का निर्माण / चौडीकरण / सुदृढीकरण	20000.00
	5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्गों का चौडीकरण / सुदृढीकरण	10000.00
	5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण	6000.00
	5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश जिला सडक परियोजना	1000.00
	5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	6-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुडे ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोडने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों	30000.00

वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		/ लघु सेतुओं का निर्माण	
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		7-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण	20000.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		8-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण	1000.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		9-केन्द्रीय सडक निधि से मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढीकरण	1000.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		10-क्षतिपूरक वनीकरण का भुगतान	100.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		11-गंग नहर की दायी पटरी का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण	5000.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		12-ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों का निर्माण	10000.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		13-ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण	5000.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		14-तहसील एवं ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण	10000.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		15-दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में ब्लैक स्पॉट का सुधार / सौन्दर्यीकरण / मार्ग सुरक्षा कार्य	3920.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		16-प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था	22500.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		17-प्रमुख व अन्य जिला मार्गों का उच्चीकरण	39395.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		18-राज्य राजमार्गों का उन्नयन, सुदृढीकरण और निर्माण	4480.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		19-राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण	13473.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		20-विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना	5000.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		21-शहरों के बाईपास, रिग रोड एवं फ्लाई ओवर का निर्माण	5000.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		22-सूचना प्रौद्योगिकी का प्रबन्धन एवं नियोजन	500.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	213478.00
		अनुदान संख्या 058 का योग	213478.00
059	2059-लोक निर्माण कार्य	1-रमाबाई अम्बेडकर अतिथि गृह / बौद्ध विहार शान्ति उपवन / मा. कांशीराम जी ग्रीन (ईको) गार्डन	29.07
	2059-लोक निर्माण कार्य	2-लोक भवन के अनुरक्षण कार्य	911.45

वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 2059 का योग	940.52
		अनुदान संख्या 059 का योग	940.52
060	2406-वानिकी तथा वन्य जीव	1-उ.प्र. प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि से वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग	20000.00
	2406-वानिकी तथा वन्य जीव	2-नेशनल बैम्बू मिशन योजना	267.00
		लेखा शीर्ष 2406 का योग	20267.00
	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	3-नेशनल बैम्बू मिशन योजना	1792.50
	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	4-विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खदानों एवं पठारी / पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षारोपण	100.00
		लेखा शीर्ष 4406 का योग	1892.50
		अनुदान संख्या 060 का योग	22159.50
061	2217-शहरी विकास	1-दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड में अन्तरण	15000.00
	2217-शहरी विकास	2-दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों को अन्तरण	17500.00
	2217-शहरी विकास	3-दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से नगरीय निकायों की देयताओं का भुगतान	20000.00
		लेखा शीर्ष 2217 का योग	52500.00
		अनुदान संख्या 061 का योग	52500.00
067	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1-विधान परिषद् की कार्यवाही की रिकार्डिंग एवं सजीव प्रसारण	110.78
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	2-विधान परिषद् परिसर में सिविल एवं विद्युत सम्बन्धी कार्य	37.12
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	3-विधान परिषद् सभा मण्डप की गैलरियों का सौन्दर्यीकरण, वातानुकूलन एवं अग्निशमन सम्बन्धी कार्य	651.38
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	799.28
		अनुदान संख्या 067 का योग	799.28
068	2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	1-कैमरे एवं उपकरणों का अनुरक्षण	46.78
	2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	2-मा. अध्यक्ष विधान सभा के स्टाफ कक्ष हेतु फर्नीचर	4.23

वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	3-विधान सभा सचिवालय में ई-ऑफिस व्यवस्था	274.73
	2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	4-सी.सी.टी.वी. सर्विलांस कैमरा प्रणाली का अनुरक्षण	30.95
		लेखा शीर्ष 2011 का योग	356.69
	2059-लोक निर्माण कार्य	5-कार्यालय कक्षों में विद्युत सुरक्षात्मक उपकरण / अवयवों की स्थापना एवं जीर्णोद्धार	8.90
	2059-लोक निर्माण कार्य	6-विधान सभा मण्डप की दीर्घाओं के अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य	11.54
		लेखा शीर्ष 2059 का योग	20.44
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	7-विधान सभा परिसर में सिविल एवं विद्युत सम्बन्धी विभिन्न कार्य	136.65
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	136.65
		अनुदान संख्या 068 का योग	513.78
070	2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	1-जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम अनुदान योजना	1000.00
	2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	2-वायु संसाधन मूल्यांकन योजना	16.80
		लेखा शीर्ष 2810 का योग	1016.80
		अनुदान संख्या 070 का योग	1016.80
071	2202-सामान्य शिक्षा	1-वनटांगिया ग्रामों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना	10.00
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	10.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2-वनटांगिया ग्रामों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना	490.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	490.00
		अनुदान संख्या 071 का योग	500.00
072	2202-सामान्य शिक्षा	1-अधिकारियों, प्रधानाचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण	15.00
	2202-सामान्य शिक्षा	2-"मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार" योजना	10.00
	2202-सामान्य शिक्षा	3-राजकीय माध्यमिक विद्यालयों (बालक / बालिका) में सी.सी.टी.वी. कैमरों एवं वॉयस रिकार्डर की स्थापना	627.66
	2202-सामान्य शिक्षा	4-सेवारत् शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं उसका थर्ड पार्टी मूल्यांकन	100.00

वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	752.66
		अनुदान संख्या 072 का योग	752.66
073	2202-सामान्य शिक्षा	1-दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय में महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ पीठ की स्थापना	63.60
	2202-सामान्य शिक्षा	2-लखनऊ विश्वविद्यालय में "अटल सुशासन पीठ" की स्थापना	200.00
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	263.60
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	3-सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना	1000.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4-सावित्री बाई फुले गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण	500.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	1500.00
		अनुदान संख्या 073 का योग	1763.60
074	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें	1-उ.प्र. होम गार्ड्स कल्याण कोष	500.00
		लेखा शीर्ष 2070 का योग	500.00
		अनुदान संख्या 074 का योग	500.00
076	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1-अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना	5000.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	5000.00
		अनुदान संख्या 076 का योग	5000.00
079	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1-दिव्यांगजनों के लिये नि:शुल्क मोटराइज्ड ट्राई साईकिल योजना	3256.00
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2-बचपन डे-केयर सेन्टर्स की स्थापना व संचालन	1055.25
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	4311.25
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	3-बालक / बालिका के लिये नवीन "स्पर्श" राजकीय दृष्टिबाधित के विद्यालय की स्थापना	600.00
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	4-बालकों / बालिकाओं के लिये 04 नवीन "ममता" मानसिक मन्दित विद्यालय की स्थापना	1000.00
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	5-राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों का भवन निर्माण	1800.00
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत	6-"संकेत" राजकीय मूक बधिर कॉलेज, गोरखपुर के	50.00

वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	परिव्यय	विद्यालय भवन एवं आवासीय भवन का निर्माण	
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	7-स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इण्टर कॉलेज, गोरखपुर के नवीन विद्यालय भवन, बाधा रहित छात्रावास एवं कर्मचारी आवास का निर्माण	50.00
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	8-स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इण्टर कॉलेज, मेरठ में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण	21.25
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	9-स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इण्टर कॉलेज, लखनऊ में निर्माण कार्य	125.50
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	10-स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका विद्यालय, सहारनपुर में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	8.00
		लेखा शीर्ष 4235 का योग	3654.75
		अनुदान संख्या 079 का योग	7966.00
081	2401-फसल कृषि कर्म	1-नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ओ.एस. / टी.बी.ओ.)	20.00
		लेखा शीर्ष 2401 का योग	20.00
	2403-पशु पालन	2-राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम की सरल बैकयार्ड के अन्तर्गत भेड़ पालन	5.94
	2403-पशु पालन	3-राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम की सरल बैकयार्ड योजना के अन्तर्गत बकरी पालन	107.01
	2403-पशु पालन	4-राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम की सरल बैकयार्ड योजना के अन्तर्गत सूकर पालन	15.87
		लेखा शीर्ष 2403 का योग	128.82
	2406-वानिकी तथा वन्य जीव	5-लघु वन उपजों के विपणन के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य	80.00
		लेखा शीर्ष 2406 का योग	80.00
		अनुदान संख्या 081 का योग	228.82
083	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1-जनपद हापुड़ में आयुर्वेदिक चिकित्सालय	9.26
		लेखा शीर्ष 2210 का योग	9.26
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2-आयुष्मान भारत - नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन	27530.58
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	3-आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना	2356.43
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	29887.01

वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
2401-फसल कृषि कर्म		4-नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ओ.एस. / टी.बी.ओ.)	340.00
		लेखा शीर्ष 2401 का योग	340.00
2403-पशु पालन		5-इन्नोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर ब्रायलर बडर्स योजना	360.00
2403-पशु पालन		6-इन्नोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लो इनपुट टेक्नोलॉजी बड्स योजना	116.00
2403-पशु पालन		7-जेनेटिक इम्प्रूवमेन्ट फॉर शीप एण्ड गोट	565.00
2403-पशु पालन		8-राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम की सरल बैकयार्ड योजना के अन्तर्गत बकरी पालन	234.04
2403-पशु पालन		9-राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम की सरल बैकयार्ड योजना के अन्तर्गत भेड़ पालन	165.73
2403-पशु पालन		10-राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम की सरल बैकयार्ड योजना के अन्तर्गत सूकर पालन	30.41
		लेखा शीर्ष 2403 का योग	1471.18
4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय		11-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.)	5000.00
		लेखा शीर्ष 4515 का योग	5000.00
4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय		12-पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें	16000.00
		लेखा शीर्ष 4575 का योग	16000.00
4711-बाह्य नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय		13-बाह्य नियंत्रण एवं जल निकासी की परियोजना	2000.00
		लेखा शीर्ष 4711 का योग	2000.00
4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय		14-दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त एच.टी.इन्फ्रास्ट्रक्चर	12100.00
		लेखा शीर्ष 4801 का योग	12100.00
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		15-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण	3000.00
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		16-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण एवं अन्य ग्रामीण मार्गों का निर्माण	10000.00
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		17-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों	3400.00

वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		/ लघु सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)	
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	18-ग्रामीण सेतुओं का निर्माण के नये कार्य	1550.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	19-चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढीकरण	274.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	20-नाबार्ड के आर.आई.डी.एफ. से वित्त पोषित लघु सेतुओं का निर्माण	2692.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	21-राज्य / प्रमुख / अन्य जिला मार्गों का उच्चीकरण	10605.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	22-राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण	3627.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	23-रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्य	1220.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	36368.00
		अनुदान संख्या 083 का योग	103175.45
089	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत कार्यालय भवनों का निर्माण	3000.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	3000.00
		अनुदान संख्या 089 का योग	3000.00
091	2030-स्टाम्प पंजीकरण	1-उप निबन्धक कार्यालयों में रेंटल बेसिस पर 10 एम.बी.पी.एस. की लीज लाईन लगाया जाना	500.00
		लेखा शीर्ष 2030 का योग	500.00
		अनुदान संख्या 091 का योग	500.00
092	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1-जनपद चन्दौली में पं. दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति, मेमोरियल ब्लाक एवं वैदिक उद्यान	1.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2-मा. उच्च न्यायालय संग्रहालय, इलाहाबाद का विकास	5.25
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	3-राज्य संग्रहालय परिसर, लखनऊ में "प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय" का भवन निर्माण	500.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4-राज्य संग्रहालय, लखनऊ में अत्याधुनिक तकनीक के अग्निशमन संयंत्र की स्थापना	394.75
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	5-राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह, कैसरबाग, लखनऊ का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण	100.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	6-वाराणसी में सांस्कृतिक संकुल का उच्चीकरण	1.00

वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	7-वृन्दावन शोध संस्थान - मथुरा के भवन का जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण	100.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	1102.00
		अनुदान संख्या 092 का योग	1102.00
094	2700-मुख्य सिंचाई	1-मुख्य- सिंचाई की परियोजनायें	500.00
		लेखा शीर्ष 2700 का योग	500.00
	2701-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	2-मध्यम सिंचाई की परियोजनायें	200.00
		लेखा शीर्ष 2701 का योग	200.00
	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	3-मुख्य- सिंचाई की परियोजनायें	38860.00
		लेखा शीर्ष 4700 का योग	38860.00
	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	4-मध्यम सिंचाई की परियोजनायें	6840.00
		लेखा शीर्ष 4701 का योग	6840.00
	4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	5-लघु सिंचाई की परियोजनायें	9400.01
		लेखा शीर्ष 4702 का योग	9400.01
	4711-बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	6-बाढ नियंत्रण एवं जल निकासी की परियोजनायें	29500.00
		लेखा शीर्ष 4711 का योग	29500.00
		अनुदान संख्या 094 का योग	85300.01

व्यय की नई मांग का विवरण

अनुदान संख्या 002

आवास विभाग

कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना का क्रियान्वयन

कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 175.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 175.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य शहरी विकास योजनायें	
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
03- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में अंशपूजी विनियोजन	
30-निवेश/ऋण	17500.00

आगरा में मेट्रो रेल परियोजना का क्रियान्वयन

आगरा में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 175.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 175.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य शहरी विकास योजनायें	
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
05- आगरा मेट्रो रेल परियोजना में अंशपूजी विनियोजन	
30-निवेश/ऋण	17500.00

वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज एवं झाँसी में मेट्रो रेल परियोजना

वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज एवं झाँसी में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य शहरी विकास योजनायें	
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
07- वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज एवं झाँसी में मेट्रो रेल परियोजना	
30-निवेश/ऋण	15000.00

दिल्ली - गाजियाबाद - मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर.आर.टी.एस.) परियोजना

दिल्ली - गाजियाबाद - मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर.आर.टी.एस.) परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 400.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 400.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य शहरी विकास योजनायें	
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
08- दिल्ली - गाजियाबाद - मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना	
30-निवेश/ऋण	40000.00

प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास

लखनऊ, वाराणसी, आगरा, कानपुर एवं अन्य नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य शहरी विकास योजनायें	
800- अन्य व्यय	
07- लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (नये कार्य)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10000.00

अनुदान संख्या 003

उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

उ.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017

प्रदेश के समग्र विकास एवं रोजगार सृजन हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से उ.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

102- लघु उद्योग

29- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति, 2017

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

500.00

27-सब्सिडी

500.00

योग -

1000.00

अनुदान संख्या 005
उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड

प्रदेश में मृदा हस्तशिल्पियों के परम्परागत कलाओं के संरक्षण, संवर्द्धन एवं व्यवसाय के प्रोत्साहन के लिये गठित "उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड" हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

105- खादी ग्रामोद्योग

31- उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

1000.00

अनुदान संख्या 007

उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

आप्टिकल फाइबर एवं मोबाइल टावर की स्थापना हेतु आनलाईन आवेदन प्रक्रिया

आप्टिकल फाइबर एवं मोबाइल टावर की स्थापना की अनुमति के लिये आनलाईन आवेदन प्रक्रिया के लिये पोर्टल के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 35.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 35.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2852- उद्योग	
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग	
202- इलेक्ट्रानिक्स	
28- ऑन लाइन आवेदन हेतु पोर्टल	
42-अन्य व्यय	35.00

आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की वेबसाइट का सिक्योरिटी, आडिट एवं वार्षिक अनुरक्षण

भारत सरकार की गाईड लाईन्स फॉर इण्डियन गवर्नमेन्ट साइट्स (जी.आई.जी.डब्ल्यू.) के अनुरूप यू.पी.डेस्को द्वारा विकसित एवं स्टेट डाटा सेन्टर पर होस्टेड आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की वेबसाइट <http://upite.gov.in> के सिक्योरिटी, आडिट एवं वार्षिक अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 2.69 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 2.69 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2852- उद्योग	
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग	
202- इलेक्ट्रानिक्स	
29- वेबसाइट का सिक्योरिटी आडिट एवं अनुरक्षण	
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2.69

प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था

प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली के लिये आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर लाइसेन्सेज इत्यादि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4859- दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	
02- इलेक्ट्रानिक	
800- अन्य निवेश	
16- शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था	
42-अन्य व्यय	1000.00

आगरा - लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेस-वे परियोजना

आगरा - लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेस-वे परियोजना के सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 100.00 करोड़ की

आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03- राज्य राजमार्ग

337- सड़क निर्माण कार्य

03- आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस-वे परियोजना का सुदृढीकरण

24-वृहत् निर्माण कार्य

10000.00

अनुदान संख्या 009

ऊर्जा विभाग

उदय योजनान्तर्गत यू.पी.पी.सी.एल. को स्वीकृत ब्याज रहित ऋण का अनुदान में परिवर्तन

उदय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी बन्धपत्रों (2015-16 एवं 2016-17) के 25 प्रतिशत के समतुल्य यू.पी.पी.सी.एल. को स्वीकृत ब्याज रहित ऋण को अनुदान में परिवर्तित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 4891.72 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 4891.72 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2801- बिजली

05- संचरण एवं वितरण

190- सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य, उपक्रमों को सहायता

02- उदय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी बंधपत्रों (2015-16 एवं 2016-17) के 25% के समतुल्य

यू0 पी0 पी0 सी0 एल 0 को स्वीकृत ब्याज रहित ऋण का अनुदान में परिवर्तन

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

489172.00

वितरण क्षेत्र की अवस्थापना योजनाओं हेतु पी.एफ.सी. से लिये गये ऋण की अदायगी

विद्युत वितरण क्षेत्र की अवस्थापना योजनाओं हेतु उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लि. एवं सहयोगी विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा पी.एफ.सी. से लिये गये ऋण (रुपये 1250 करोड़) के पुनर्भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 104.17 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 104.17 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2801- बिजली

05- संचरण एवं वितरण

800- अन्य व्यय

22- विद्युत वितरण क्षेत्र की अवस्थापना योजनाओं हेतु पी0 एफ 0 सी0 से लिये गये ऋण का पुनर्भुगतान

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

10417.00

पारेषण क्षेत्र की अवस्थापना योजनाओं हेतु पी.एफ.सी. से लिये गये ऋण की अदायगी

विद्युत पारेषण क्षेत्र की अवस्थापना योजनाओं हेतु उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. द्वारा पी.एफ.सी. से लिये गये ऋण (रुपये 972.40 करोड़) के पुनर्भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 81.03 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 81.03 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2801- बिजली

05- संचरण एवं वितरण

800- अन्य व्यय

23- पारेषण क्षेत्र की अवस्थापना योजनाओं हेतु पी0 एफ 0 सी0 से लिये गये ऋण का पुनर्भुगतान

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

8103.00

अनपरा 'द' तापीय विद्युत परियोजना

2 x 500 मे.वा. अनपरा 'द' तापीय विद्युत परियोजना में एफ.जी.डी. की स्थापना एवं परामर्शी सेवाओं के लिये अंशपूजी विनियोजन हेतु वित्तीय वर्ष

2019-2020 में रुपये 103.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 103.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
02- ताप विद्युत शक्ति उत्पादन	
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
14- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	
1423- 2x500 मेगावाट अनपरा 'द' तापीय विद्युत परियोजना में FGD की स्थापना एवं इस हेतु परामर्शी सेवा के लिये अंशपूजी	
30-निवेश/ऋण	10300.00

हरदुआगंज एवं पारीछा 'ब' तथा 'स' तापीय परियोजना

2 x 250 मे.वा. हरदुआगंज तापीय परियोजना, 2 x 210 मे.वा. पारीछा 'ब' तापीय परियोजना तथा 2 x 250 मे.वा. पारीछा 'स' तापीय परियोजना में एफ.जी.डी. की स्थापना एवं परामर्शी सेवाओं के लिये अंशपूजी विनियोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 29.18 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 29.18 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
02- ताप विद्युत शक्ति उत्पादन	
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
14- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	
1424- 2x250 मे.वा. हरदुआगंज तापीय परियोजना, 2x210 मे.वा. पारीछा 'ब' तापीय परियोजना एवं 2x250 मे.वा. पारीछा 'स' तापीय परियोजना में एफ 0 जी0 डी0 की स्थापना एवं इस हेतु परामर्शी सेवा की योजना के लिये अंशपूजी	
30-निवेश/ऋण	2918.00

सहरपुर - जमारपानी (झारखण्ड) कोल ब्लॉक का विकास

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्माणाधीन तापीय परियोजनाओं के लिये कोयला आपूर्ति करने हेतु सहरपुर - जमारपानी (झारखण्ड) कोल ब्लॉक के विकास के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. को अंशपूजी दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 12.77 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 12.77 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
02- ताप विद्युत शक्ति उत्पादन	
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
14- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	
1425- सहरपुर-जमारपानी (झारखण्ड) कोल ब्लॉक के विकास हेतु अंशपूजी	
30-निवेश/ऋण	1277.00

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त एच.टी.इन्फ्रास्ट्रक्चर

"प्रधानमंत्री सहज बिजली-हर घर योजना (सौभाग्य)" के अन्तर्गत लक्ष्य के अनुरूप अविद्युतीकृत घरों को शत-प्रतिशत विद्युतीकृत किये जाने हेतु अतिरिक्त एच.टी.इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत उ.प्र.पॉवर कारपोरेशन लि. को अंशपूजी दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 429.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये

429.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

06- ग्रामीण विद्युतीकरण

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

07- सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त एच 0 टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु यू0 पी0 पी0 सी0 एल 0 को अंशपूंजी (के० 60/रा० 10/नि० 30-के०)

30-निवेश/ऋण

42900.00

अनुदान संख्या 010

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)

ग्राम समृद्धि योजना

ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री की स्थापना के लिये वातावरण तैयार करने के साथ फूड प्रोसेसिंग की छोटी-छोटी संस्थाओं का सुदृढीकरण तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार आदि के कार्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2401- फसल कृषि कर्म	
119- बागवानी तथा वनस्पति की फसलें	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0103- ग्राम समृद्धि योजना (के.80/रा.20-के.+रा.)	
04-यात्रा व्यय	1.00
08-कार्यालय व्यय	2.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4.00
18-प्रकाशन	1.00
27-सब्सिडी	927.00
42-अन्य व्यय	5.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	4.00
	1000.00
योग -	

शहतूती रेशम के लिये नर्सरी पौध उत्पादन योजना

प्रदेश में रेशम कीटों के भोज्य के विकास एवं रेशम उद्योग के विकास / प्रसार के लिये "शहतूती रेशम के लिये शहतूत नर्सरी पौध उत्पादन" योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 17.40 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 17.40 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग	
107- रेशम उत्पादन उद्योग	
15- शहतूती रेशम के लिये नर्सरी पौध उत्पादन की योजना	
02-मजदूरी	10.20
42-अन्य व्यय	4.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	3.20
	17.40
योग -	

अनुदान संख्या 011

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

वैज्ञानिकी कृषि एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाव का प्रबन्धन

"वैज्ञानिकी कृषि एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाव का प्रबन्धन" योजना के अन्तर्गत प्रदेश के कृषि विकास हेतु प्रत्येक जनपद में एक एगोक्लाइमेटिक जोन के लिये पायलट साइट, मृदा परीक्षण के लिये प्रयोगशाला, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, क्षमता विकास, कृषि उत्पादों के विपणन के लिये एकीकृत विकास तथा समग्र कृषि विकास की रणनीति तैयार करने तथा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के आयोजित करने आदि कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 15.07 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 15.07 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2401- फसल कृषि कर्म

109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण

11- वैज्ञानिक खेती एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाव प्रबन्धन

42-अन्य व्यय

1507.00

नेशनल फूड सिक्वोरिटी मिशन (ओ.एस./टी.बी.ओ.)

प्रदेश में तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिये नेशनल फूड सिक्वोरिटी मिशन (ओ.एस./टी.बी.ओ.) हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 18.40 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 18.40 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2401- फसल कृषि कर्म

114- तिलहन विकास

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0101- नेशनल फूड सिक्वोरिटी मिशन (ओ 0 एस 0 / टी0 बी0 ओ 0) (के.60 / रा.40 -के.+रा)

04-यात्रा व्यय

12.00

08-कार्यालय व्यय

20.00

11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई

6.00

12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण

4.00

13-टेलीफोन पर व्यय

1.00

15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद

10.00

27-सब्सिडी

1400.00

42-अन्य व्यय

75.00

44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय

300.00

47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय

6.00

58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान

6.00

योग -

1840.00

उ.प्र. में गंगा बेसिन में आर्गेनिक फार्म क्लस्टर की स्थापना

उ.प्र. में गंगा बेसिन में आर्गेनिक फार्म क्लस्टर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 21.44 करोड़ की आवश्यकता है |

तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 21.44 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2402- मृदा तथा जल संरक्षण

102- मृदा संरक्षण

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0103- स्टैबलिशमेन्ट ऑफ आर्गेनिक फार्म क्लस्टर्स आन गंगा बेसिन इन यू0 पी0 (के.60/रा.40-के.+रा.)

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

2144.00

अनुदान संख्या 012

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

सरयू नहर परियोजना फेज-III।

सरयू नहर परियोजना फेज-III। (समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम) के अन्तर्गत कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुलाबा कमाण्ड के खेत / चक तक सिंचाई जल उपलब्ध कराकर कृषकों की उत्पादन / उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 500.00 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2705- कमान क्षेत्र विकास

800- अन्य व्यय

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0102- सरयू नहर परियोजना फेज-III (के.50/रा.50-के.+रा.)

27-सब्सिडी

50000.00

अर्जुन सहायक परियोजना

अर्जुन सहायक परियोजना (समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम) के अन्तर्गत कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुलाबा कमाण्ड के खेत / चक तक सिंचाई जल उपलब्ध कराकर कृषकों की उत्पादन / उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2705- कमान क्षेत्र विकास

800- अन्य व्यय

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0103- अर्जुन सहायक परियोजना (के.50/रा.50-के.+रा.)

27-सब्सिडी

10000.00

अनुदान संख्या 013

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत हर खेत को पानी

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत "हर खेत को पानी" योजना द्वारा भूजल के उपयोग से सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जाना है। इसके अन्तर्गत नलकूप निर्माण, डग / ब्लास्ट वेल, बोरवेल एवं सोलर पम्प की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

12- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

1202- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत हर खेत को पानी (के.60/रा.40-के.+रा.)

42-अन्य व्यय

5000.00

अनुदान संख्या 014

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन

प्रत्येक राजस्व ग्राम में गठित युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें

800- अन्य व्यय

07- युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

2500.00

18 मिनी स्टेडियमों का निर्माण

ग्रामीण अंचल में युवा और युवतियों के सर्वांगीण विकास और स्वास्थ्य के दृष्टिगत 18 मिनी स्टेडियमों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

06- 18 मिनी स्टेडियमों का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

2500.00

अनुदान संख्या 015

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन सेवाओं में गुणात्मक सुधार योजना

पशुधन की ससमय सुरक्षा एवं उत्पादन क्षमता वृद्धि करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी का समावेश कर पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन सेवाओं में गुणात्मक सुधार हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 हजार की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2403- पशु पालन

101- पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य

10- पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन सेवाओं में गुणात्मक सुधार की योजना

42-अन्य व्यय

0.01

100 प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन हेतु नये 'मैत्री' की उपलब्धता की योजना

100 प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन हेतु नये 'मैत्री' (मल्टी परपज़ ए.आई. टेक्नीशियन इन सरल इण्डिया) की उपलब्धता की योजनान्तर्गत पशुपालकों के द्वार पर गणवतायुक्त पशु प्रजनन सेवायें समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के लिये 'मैत्री' की उपलब्धता हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 हजार की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2403- पशु पालन

102- पशु तथा भैंस विकास

31- 100 प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन हेतु नये मैत्री की उपलब्धता की योजना

42-अन्य व्यय

0.01

सरल बैकयार्ड के अन्तर्गत भेड़ पालन की योजना

प्रदेश में पशुपालकों की आय में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम की "सरल बैकयार्ड के अन्तर्गत भेड़ पालन की योजना" हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 826.25 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 826.25 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2403- पशु पालन

104- भेड़ तथा ऊन विकास

02- राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम

0201- सरल बैकयार्ड के अन्तर्गत भेड़ पालन की योजना (के.60/रा.30/ला.10-रा.)

39-औषधि तथा रसायन

27.82

42-अन्य व्यय

111.28

43-सामग्री एवं सम्पूति

687.15

योग -

826.25

सरल बैकयार्ड के अन्तर्गत सूकर पालन की योजना

प्रदेश में पशुपालकों की आय में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम की "सरल बैकयार्ड के अन्तर्गत सूकर पालन की योजना" हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 136.95 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-

व्ययक में रुपये 136.95 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2403- पशु पालन	
105- सुअर बाड़ा विकास	
02- राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	
0201- सरल बैकयार्ड के अन्तर्गत सूकर पालन की योजना (के.60/रा.30/ला.10-रा.)	
39-औषधि तथा रसायन	8.34
42-अन्य व्यय	20.59
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	108.02
	136.95
योग -	

सरल बैकयार्ड के अन्तर्गत बकरी पालन की योजना

प्रदेश में पशुपालकों की आय में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम की "सरल बैकयार्ड के अन्तर्गत बकरी पालन की योजना" हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 1054.94 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 1054.94 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2403- पशु पालन	
106- अन्य पशुधन विकास	
02- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम	
0206- सरल बैकयार्ड के अन्तर्गत बकरी पालन की योजना (के.60/रा.30/ला.10-रा.)	
39-औषधि तथा रसायन	35.52
42-अन्य व्यय	142.08
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	877.34
	1054.94
योग -	

पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ-अनुसंधान संस्थान, मथुरा

पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ-अनुसंधान संस्थान, मथुरा में ई-गवर्नेन्स प्रणाली लागू करने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2403- पशु पालन	
800- अन्य व्यय	
06- पं. दीन दयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	200.00

निदेशालय, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश स्थित विभिन्न भवनों का सुदृढीकरण

निदेशालय, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश स्थित विभिन्न भवनों के सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

निदेशालय, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश स्थित विभिन्न भवनों के सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय

101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य

17- निदेशालय, पशुपालन विभाग, उ 0 प्र 0 स्थित विभिन्न भवनों का सुदृढीकरण

24-वृहत् निर्माण कार्य

200.00

अनुदान संख्या 016

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

केन्द्रीय हरा चारा विकास योजना में हरा चारा उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम

केन्द्रीय हरा चारा विकास योजना में हरा चारा उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत चारा विकास के लिये चारा बीज, मिनी किट उपार्जन एवं वितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 152.04 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 152.04 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2404- डेरी विकास	
102- डेरी विकास परियोजनायें	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0104- हरा चारा उत्पादन एवं वितरण (के.60/रा.40-रा.)	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	152.04

उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद् को सहायता

उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध नीति-2018 के क्रियान्वयन के लिये उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद् को सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 536.68 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 536.68 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2404- डेरी विकास	
102- डेरी विकास परियोजनायें	
10- उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद् को वित्तीय सहायता	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	536.68

मथुरा में नवीन डेरी की स्थापना

मथुरा में नवीन डेरी की स्थापना के लिये पी.सी.डी.एफ. को ऋण दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 56.23 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 56.23 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6404- डेरी विकास के लिए कर्ज	
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	
08- मथुरा में नवीन डेरी की स्थापना	
0801- पी0 सी0 डी0 एफ 0 को ऋण	
30-निवेश/ऋण	5623.00

अनुदान संख्या 017
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

मत्स्य पालक विकास अभिकरण

मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 881.68 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 881.68 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2405- मछली पालन

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता

03- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

148.00

31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

700.00

53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)

33.68

योग -

881.68

अनुदान संख्या 021

खाद्य तथा रसद विभाग

राज्य खाद्य आयोग का सुदृढीकरण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत राज्य खाद्य आयोग के सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 75.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 75.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2408- खाद्य भण्डारण तथा भांडागार

01- खाद्य

001- निदेशन तथा प्रशासन

04- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम , 2013

0401- राज्य खाद्य आयोग

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

75.00

जिला उपभोक्ता फोरमों का सुदृढीकरण

जिला उपभोक्ता फोरमों का सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत जिला फोरमों के कार्यालय भवन, मीडिएशन सेन्टर इत्यादि के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 4518.43 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 4518.43 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60- अन्य भवन

051- निर्माण

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0103- उपभोक्ता फोरमों का सुदृढीकरण (के.100)

24-वृहत् निर्माण कार्य

4518.43

इंटीग्रेटेड मैनेजमेन्ट ऑफ पी.डी.एस. (आई.एम.पी.डी.एस.) योजना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत किये जाने के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड मैनेजमेन्ट ऑफ पी.डी.एस. (आई.एम.पी.डी.एस.) योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण हेतु डाटा रिपोसिटरी, डाटा सुरक्षा तकनीक की गुणवत्ता में सुधार आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 460.03 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 460.03 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4408- खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय

01- खाद्य

101- अधिप्राप्ति तथा पूर्ति

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0102- आई 0 एम 0 पी 0 डी 0 एस 0 योजना (के.100)

42-अन्य व्यय

460.03

अनुदान संख्या 022

खेल विभाग

स्पोर्ट्स स्टेडियम, बरेली में निर्माण कार्य

स्पोर्ट्स स्टेडियम, बरेली में पैवेलियन स्टेयर्स एवं अन्य मरम्मत कार्य किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 22.03 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 22.03 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202-	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
03-	खेलकूद तथा युवा सेवा	
800-	अन्य व्यय	
06-	स्पोर्ट्स स्टेडियम, बरेली	
0601-	पैवेलियन स्टेयर्स एवं अन्य मरम्मत कार्य	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	22.03

के.डी.सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ में तरणताल का कार्य

के.डी.सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ में आलवेदर तरणताल को कवर किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 603.66 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 603.66 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202-	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
03-	खेलकूद तथा युवा सेवा	
800-	अन्य व्यय	
12-	के0 डी0 सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ	
1202-	ऑलवेदर तरणताल को कवर्ड किये जाने का कार्य	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	603.66

स्पोर्ट्स स्टेडियम, सीतापुर में क्रीडाहॉल का जीर्णोद्धार

स्पोर्ट्स स्टेडियम, सीतापुर में निर्मित बहुउद्देशीय क्रीडाहॉल के जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 45.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 45.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202-	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
03-	खेलकूद तथा युवा सेवा	
800-	अन्य व्यय	
59-	स्पोर्ट्स स्टेडियम, सीतापुर	
5901-	बहुउद्देशीय क्रीडा हाल की मरम्मत	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	45.00

वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर में पैवेलियन का निर्माण

वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर में हॉकी मैदान पर पैवेलियन का निर्माण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है

I

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

03- खेलकूद तथा युवा सेवा

800- अन्य व्यय

61- बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर

6111- एस्ट्रोटेर्फ हॉकी मैदान पर पैवेलियन का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

500.00

जनपद प्रयागराज के तरणताल का जीर्णोद्धार

जनपद प्रयागराज के जार्ज टाऊन में स्थापित तरणताल के जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

03- खेलकूद तथा युवा सेवा

800- अन्य व्यय

64- जनपद प्रयागराज के तरणताल का जीर्णोद्धार

24-वृहत् निर्माण कार्य

50.00

स्पोर्ट्स स्टेडियम, झाँसी में जिम्नास्टिक हॉल

जनपद झाँसी के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिम्नास्टिक हॉल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

03- खेलकूद तथा युवा सेवा

800- अन्य व्यय

65- स्पोर्ट्स स्टेडियम, झाँसी

6501- जिम्नास्टिक हाल का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

300.00

जनपद औरैया में स्टेडियम का निर्माण

जनपद औरैया के ग्राम सभा - बढिन, विधूना में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
03- खेलकूद तथा युवा सेवा	
800- अन्य व्यय	
66- जनपद औरैया में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00

स्पोर्ट्स स्टेडियम, मुरादाबाद में क्रीडाहॉल का जीर्णोद्धार

स्पोर्ट्स स्टेडियम, मुरादाबाद में बहुउद्देशीय क्रीडाहॉल के जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 40.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 40.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
03- खेलकूद तथा युवा सेवा	
800- अन्य व्यय	
67- स्पोर्ट्स स्टेडियम, मुरादाबाद	
6701- बहुउद्देशीय क्रीडा हॉल का जीर्णोद्धार	
24-वृहत् निर्माण कार्य	40.00

स्पोर्ट्स स्टेडियम, अमेठी में अवस्थापना सुविधाओं का विकास

स्पोर्ट्स स्टेडियम, अमेठी में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
03- खेलकूद तथा युवा सेवा	
800- अन्य व्यय	
68- स्पोर्ट्स स्टेडियम, अमेठी	
6801- अवस्थापना सुविधाओं का विकास	
24-वृहत् निर्माण कार्य	200.00

स्पोर्ट्स स्टेडियम, फर्रुखाबाद में विभिन्न निर्माण कार्य

स्पोर्ट्स स्टेडियम, फर्रुखाबाद में वेट लिफ्टिंग हॉल, बाउण्ड्रीवाल, ग्राउण्ड का निर्माण एवं फेसिंग के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
03- खेलकूद तथा युवा सेवा	
800- अन्य व्यय	
69- स्पोर्ट्स स्टेडियम, फर्रुखाबाद	
6901- अवस्थापना सुविधाओं का विकास	
24-वृहत् निर्माण कार्य	200.00

जनपद वाराणसी के लालपुर स्टेडियम का जीर्णोद्धार

जनपद वाराणसी के लालपुर स्टेडियम का जीर्णोद्धार एवं स्प्रिंकलर सिस्टम एवं अण्डर ग्राउण्ड पाइप लाइन की व्यवस्था कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
03- खेलकूद तथा युवा सेवा	
800- अन्य व्यय	
98- जनपद वाराणसी स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम	
9802- लालपुर स्टेडियम का जीर्णोद्धार, स्प्रिंकलर सिस्टम एवं अंडर ग्राउण्ड पाइप लाइन की व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00

अनुदान संख्या 023

गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण

चीनी मिल क्षेत्रों में चीनी मिलों को ताजा गन्ना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अन्तर्ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 56.94 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 56.94 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

03- कृषि विपणन सुविधाओं के लिए अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण (जिला योजना)

24-वृहत् निर्माण कार्य

5694.00

चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित संपर्क मार्गों का सुदृढीकरण

चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित संपर्क मार्गों का सुदृढीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 10.32 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 10.32 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

04- चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित संपर्क मार्गों का सुदृढीकरण एवं पुनर्निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

1032.00

अनुदान संख्या 024
गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

गन्ना शोध केन्द्र, गोरखपुर की पुनर्स्थापना

गन्ना शोध केन्द्र, गोरखपुर की पुनर्स्थापना के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 29.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 29.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

004- अनुसंधान

03- गन्ना शोध संस्थान, गोरखपुर की पुनर्स्थापना

24-वृहत् निर्माण कार्य

2900.00

सहकारी चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान

सहकारी चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 500.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

03- उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज

30-निवेश/ऋण

50000.00

उ.प्र. सहकारी चीनी मिलों को कर्ज

आगामी पेटाई सत्र 2019-2020 को समय से प्रारम्भ किये जाने के लिये उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ की मिलों के ऑफ सीजन मरम्मत व रख-रखाव एवं संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

05- उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की मिलों के आफ सीजन मरम्मत के लिए कर्ज

30-निवेश/ऋण

2500.00

रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के अवशेष देयों का भुगतान

सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल - बिलासपुर, कायमगंज, बदायूँ, साधा एवं सुल्तानपुर के कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 1845.35 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 1845.35 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04- चीनी	
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज	
15- रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कर्ज	
30-निवेश/ऋण	1845.35

सहकारी चीनी मिल, रमाला का विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण

सहकारी चीनी मिल, रमाला का विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण किये जाने एवं 27 मेगावाट को-जनरेशन परियोजना को स्थापित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 9614.49 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 9614.49 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04- चीनी	
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज	
17- सहकारी चीनी मिल रमाला के विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण एवं कोजनरेशन परियोजना हेतु	
30-निवेश/ऋण	9614.49

सहकारी चीनी मिलों की कार्यक्षमता में सुधार एवं आधुनिकीकरण

सहकारी चीनी मिलों की कार्यक्षमता एवं चीनी परता में सुधार एवं आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04- चीनी	
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज	
18- सहकारी चीनी मिलों की कार्यक्षमता में सुधार एवं आधुनिकीकरण हेतु कर्ज	
30-निवेश/ऋण	10000.00

सहकारी चीनी मिलों में ट्रीटिड वाटर इरीगेशन सिस्टम एवं रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम

सहकारी चीनी मिलों में ट्रीटिड वाटर इरीगेशन सिस्टम एवं रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 15.98 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 15.98 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

19- सहकारी चीनी मिलों में ट्रीटिड वाटर के इरीगेशन सिस्टम तथा रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना

30-निवेश/ऋण

1598.00

सहकारी क्षेत्र की बन्द पड़ी चीनी मिलों का पी.पी.पी. मोड में पुनर्संचालन

सहकारी क्षेत्र की बन्द पड़ी चीनी मिलों का पी.पी.पी. मोड में पुनर्संचालित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

20- सहकारी चीनी मिलों को पी0 पी0 पी0 पद्धति से चलाये जाने हेतु

30-निवेश/ऋण

2500.00

चीनी मिल - मुण्डेरवा, बस्ती में नई चीनी मिल एवं को-जनरेशन प्लाण्ट तथा आसवनी की स्थापना

चीनी मिल - मुण्डेरवा, बस्ती में नई चीनी मिल एवं को-जनरेशन प्लाण्ट तथा आसवनी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 91.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 91.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज

03- बंद चीनी मिल मुण्डेरवा (बस्ती) में नई चीनी मिल एवं कोजनरेशन प्लांट तथा आसवनी की स्थापना

30-निवेश/ऋण

9100.00

चीनी मिल - पिपराईच, गोरखपुर में नई चीनी मिल एवं को-जनरेशन प्लाण्ट तथा आसवनी की स्थापना

चीनी मिल - पिपराईच, गोरखपुर में नई चीनी मिल एवं को-जनरेशन प्लाण्ट तथा आसवनी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 125.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 125.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04- चीनी	
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	
04- बंद चीनी मिल पिपराईच (गोरखपुर) में नई चीनी मिल एवं जनरेशन प्लांट तथा आसवनी की स्थापना	
30-निवेश/ऋण	12500.00

उ.प्र.राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान

उ.प्र.राज्य चीनी निगम की चीनी मिल - मोहिउद्दीनपुर-मेरठ, पिपराईच-गोरखपुर एवं मुण्डेरवा-बस्ती के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04- चीनी	
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	
07- उ 0 प्र 0 राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज	
30-निवेश/ऋण	2500.00

सरकारी क्षेत्र की बन्द पड़ी चीनी मिलों का पुनर्संचालन

सरकारी क्षेत्र की बन्द पड़ी चीनी मिलों को पुनर्संचालित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04- चीनी	
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	
08- सरकारी क्षेत्र की बंद चीनी मिलों को पुनर्संचालित किये जाने हेतु	
30-निवेश/ऋण	5000.00

अनुदान संख्या 025

गृह विभाग (कारागार)

जिला कारागारों हेतु ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरण की व्यवस्था

प्रदेश के 06 जिला कारागारों - कासगंज, बलरामपुर, फिरोजाबाद, हमीरपुर, कानपुर देहात तथा कन्नौज के लिये ट्रैक्टर तथा कृषि उपकरणों की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 60.50 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 60.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

26- समस्त कारागार

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

60.50

अनुदान संख्या 026

गृह विभाग (पुलिस)

पुलिस विभाग के विभिन्न कार्य

पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु रुपये 700.00 करोड़, आवासीय भवनों के निर्माण हेतु रुपये 700.00 करोड़, नवसृजित जनपदों में आवासीय / अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु रुपये 400.00 करोड़, अग्निशमन केन्द्र के आवासीय / अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु रुपये 200.00 करोड़ एवं विशेष अवस्थापना योजना हेतु रुपये 9.00 करोड़ अर्थात् इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 2009.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 2009.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	
207- राज्य पुलिस	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0107- विशेष अवस्थापना योजना (के. 100)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	900.00
06- पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	70000.00
	70900.00
	योग -
211- पुलिस आवास	
06- पुलिस विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	70000.00
08- नव सृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	40000.00
09- अग्निशमन केन्द्र के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	20000.00
	130000.00
	योग -
	200900.00
	कुल योग -

अनुदान संख्या 027
गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

नागरिक सुरक्षा संगठन का सुदृढीकरण

नागरिक सुरक्षा संगठन के सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 81.18 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 81.18 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें

0101- नागरिक सुरक्षा संगठन का सुदृढीकरण (के. 100)

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

81.18

अनुदान संख्या 031

चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

राजकीय मेडिकल कालेज, जौनपुर

राजकीय मेडिकल कालेज, जौनपुर के अधिष्ठान व्यय के लिये विभिन्न मानक मदों में व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 100.01 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 100.01 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
05-	चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-	एलोपैथी	
03-	शिक्षा	
0386-	राजकीय मेडिकल कॉलेज, जौनपुर	
01-	वेतन	75.00
03-	मंहगाई भत्ता	7.50
06-	अन्य भत्ते	5.00
52-	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.01
55-	मकान किराया भत्ता	11.00
56-	नगर प्रतिकर भत्ता	0.50
57-	प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	1.00
		100.01
	योग -	

मा. अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ

मा. अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
05-	चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-	एलोपैथी	
03-	शिक्षा	
0387-	मा0 अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	
20-	सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	500.00
31-	सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	500.00
		1000.00
	योग -	

जिला चिकित्सालय, एटा का मेडिकल कॉलेज में उच्चीकरण

जिला चिकित्सालय, एटा को मेडिकल कॉलेज में उच्चीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 10600.01 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 10600.01 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105- एलोपैथी	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0101- मेडिकल कालेज, एटा (के060/रा040-के0+रा0)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10600.00
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	0.01
	10600.01
योग -	

जिला चिकित्सालय, हरदोई का मेडिकल कॉलेज में उच्चीकरण

जिला चिकित्सालय, हरदोई को मेडिकल कॉलेज में उच्चीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 10600.01 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 10600.01 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105- एलोपैथी	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0102- मेडिकल कालेज, हरदोई (के060/रा040-के0+रा0)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10600.00
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	0.01
	10600.01
योग -	

जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ का मेडिकल कॉलेज में उच्चीकरण

जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ को मेडिकल कॉलेज में उच्चीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में स्पये 10600.01 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में स्पये 10600.01 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(स्पये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105- एलोपैथी	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0103- मेडिकल कालेज, प्रतापगढ (के060/रा040-के0+रा0)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10600.00
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	0.01
	10600.01
योग -	

जिला चिकित्सालय, फतेहपुर का मेडिकल कॉलेज में उच्चीकरण

जिला चिकित्सालय, फतेहपुर को मेडिकल कॉलेज में उच्चीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में स्पये 10600.01 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में स्पये 10600.01 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(स्पये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105- एलोपैथी	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0104- मेडिकल कालेज, फतेहपुर (के060/रा040-के0+रा0)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10600.00
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	0.01
	10600.01
योग -	

जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर का मेडिकल कॉलेज में उच्चीकरण

जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर को मेडिकल कॉलेज में उच्चीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 10600.01 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 10600.01 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -		(रुपये लाख में)
4210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03-	चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-	एलोपैथी	
01-	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0105-	मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर (के060/रा040-के0+रा0)	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	10600.00
26-	मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	0.01
	योग -	<u>10600.01</u>

जिला चिकित्सालय, देवरिया का मेडिकल कॉलेज में उच्चीकरण

जिला चिकित्सालय, देवरिया को मेडिकल कॉलेज में उच्चीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 10600.01 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 10600.01 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -		(रुपये लाख में)
4210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03-	चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-	एलोपैथी	
01-	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0106-	मेडिकल कालेज, देवरिया (के060/रा040-के0+रा0)	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	10600.00
26-	मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	0.01
	योग -	<u>10600.01</u>

जिला चिकित्सालय, गाजीपुर का मेडिकल कॉलेज में उच्चीकरण

जिला चिकित्सालय, गाजीपुर को मेडिकल कॉलेज में उच्चीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 10600.01 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 10600.01 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -		(रुपये लाख में)
4210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03-	चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-	एलोपैथी	
01-	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0107-	मेडिकल कालेज, गाजीपुर (के060/रा040-के0+रा0)	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	10600.00
26-	मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	0.01
	योग -	<u>10600.01</u>

जिला चिकित्सालय, मीरजापुर का मेडिकल कॉलेज में उच्चीकरण

जिला चिकित्सालय, मीरजापुर को मेडिकल कॉलेज में उच्चीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 10600.01 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 10600.01 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -		(रुपये लाख में)
4210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03-	चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-	एलोपैथी	
01-	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0108-	मेडिकल कालेज, मीरजापुर (के060/रा040-के0+रा0)	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	10600.00
26-	मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	0.01
	योग -	<u>10600.01</u>

रायबरेली में एम्स की स्थापना

रायबरेली में एम्स के लिये भूमि का क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -		(रुपये लाख में)
4210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03-	चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-	एलोपैथी	
79-	रायबरेली में एम्स की स्थापना	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	1000.00

अनुदान संख्या 032
चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

आयुष्मान भारत - नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन

आयुष्मान भारत - नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 102269.42 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 102269.42 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

110- अन्य बीमा योजनायें

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0102- आयुष्मान भारत - नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)

42-अन्य व्यय

102269.42

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

आयुष्मान भारत - नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन योजना से छूटे हुये लाभार्थियों को आच्छादित किये जाने के लिये उक्त योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 8753.57 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 8753.57 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

110- अन्य बीमा योजनायें

06- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन अरोग्य योजना

42-अन्य व्यय

8753.57

अनुदान संख्या 033

चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

लखनऊ में गठिया उपचार एवं शोध के लिये उन्नति केन्द्र

राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ में गठिया उपचार एवं शोध के लिये उन्नति केन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 38.54 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 38.54 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां	
101- आयुर्वेद	
10- राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ में गठिया उपचार एवं शोध हेतु उन्नति केन्द्र	
01-वेतन	10.54
08-कार्यालय व्यय	0.50
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	14.00
39-औषधि तथा रसायन	2.00
42-अन्य व्यय	1.00
	38.54
योग -	38.54

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 07 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 39.21 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 39.21 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धति	
101- आयुर्वेद	
04- अस्पताल और रूजालय	
0401- आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय	
01-वेतन	27.65
02-मजदूरी	2.48
04-यात्रा व्यय	0.50
06-अन्य भत्ते	2.70
08-कार्यालय व्यय	0.70
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.70
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.75
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1.75
39-औषधि तथा रसायन	0.70
42-अन्य व्यय	0.28
	39.21
योग -	

आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना

आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 2.00 हजार की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
05- चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
101- आयुर्वेद	
06- अन्य व्यय	
0603- आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	0.01
31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	0.01
	0.02
योग -	

यूनानी महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में इनोवेशन कार्यक्रम

02 यूनानी महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में इनोवेशन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 20.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
05- चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
103- यूनानी	
03- यूनानी कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल	
42-अन्य व्यय	25.00

नर्सिंग एवं फार्मासिस्ट के पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम का संचालन

राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ एवं प्रयागराज में यूनानी नर्सिंग एवं फार्मासिस्ट के पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 5.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 5.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
05- चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
103- यूनानी	
03- यूनानी कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल	
42-अन्य व्यय	25.00

आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना

आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें	
800- अन्य व्यय	
08- आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00

अनुदान संख्या 034

चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना

09 विधान सभा क्षेत्रों, बरेली कैण्ट-जनपद-बरेली, लखीमपुर-जनपद-खीरी, तिलोई-जनपद-अमेठी, बिठूर-जनपद-कानपुर नगर, महोबा-जनपद-महोबा, नैनी-जनपद-बाँदा, मानिकपुर-जनपद-चित्रकूट, पड़रौना-जनपद-कुशीनगर, भदोही-जनपद-भदोही में होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना के लिये राजस्व मद में रुपये 39.21 लाख तथा पूँजीगत मद में रुपये 280.53 लाख अर्थात् इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 319.74 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 319.74 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धति	
102- होम्योपैथी	
03- अस्पताल और औषधालय	
0301- होम्योपैथिक चिकित्सालय	
01-वेतन	11.00
03-मंहगाई भत्ता	1.19
04-यात्रा व्यय	0.01
06-अन्य भत्ते	0.01
08-कार्यालय व्यय	1.50
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	7.50
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	8.00
39-औषधि तथा रसायन	2.00
40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	1.00
42-अन्य व्यय	2.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.50
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.50
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.50
	39.21
	योग -
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें	
800- अन्य व्यय	
05- अस्पताल और औषधालय	
0501- होम्योपैथिक चिकित्सालय	
24-वृहत् निर्माण कार्य	280.53
	319.74
	कुल योग -

अनुदान संख्या 037

नगर विकास विभाग

सीवर सफाई के दौरान सफाई कर्मियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता

नगरीय स्थानीय निकाय एवं जलकल के सफाई कर्मचारियों की सीवर की सफाई के दौरान मृत्यु होने की दशा में उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

800- अन्य व्यय

04- सीवर सफाई के दौरान सफाई कर्मियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

200.00

अनुदान संख्या 039

भाषा विभाग

स्व. गोपाल दास नीरज स्मृति - पुरस्कार योजना

प्रदेश के नवोदित कवियों को पुरस्कार एवं सम्मान दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में "स्व. गोपाल दास नीरज स्मृति - पुरस्कार" योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 18.20 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 18.20 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा

05- भाषा विकास

102- आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का सम्वर्धन

10- स्व. गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार योजना

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

18.20

अनुदान संख्या 040

नियोजन विभाग

बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन

प्रदेश के बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को गति देने के उद्देश्य से बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड एवं पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिये क्रमशः रुपये 200.00 लाख एवं रुपये 200.00 लाख अर्थात् इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 400.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 400.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

3451- सचिवालय आर्थिक सेवायें

092- अन्य कार्यालय

09- बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड

04-यात्रा व्यय

10.00

07-मानदेय

60.00

08-कार्यालय व्यय

9.00

09-विद्युत देय

5.00

11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई

2.00

12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण

12.00

13-टेलीफोन पर व्यय

2.00

15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद

32.50

16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

9.00

17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व

12.00

18-प्रकाशन

2.50

22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भन्ता आदि

15.00

29-अनुरक्षण

1.00

42-अन्य व्यय

5.00

46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

7.50

47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय

1.00

55-मकान किराया भन्ता

3.50

58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान

11.00

योग -

200.00

10- पूर्वांचल विकास बोर्ड

04-यात्रा व्यय

10.00

07-मानदेय

60.00

08-कार्यालय व्यय

9.00

09-विद्युत देय

5.00

11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई

2.00

12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण

12.00

13-टेलीफोन पर व्यय	2.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	32.50
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	9.00
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	12.00
18-प्रकाशन	2.50
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	15.00
29-अनुरक्षण	1.00
42-अन्य व्यय	5.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	7.50
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.00
55-मकान किराया भत्ता	3.50
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	11.00
	<u>200.00</u>
योग -	<u>400.00</u>
	<u>400.00</u>

त्वरित आर्थिक विकास योजना

त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत सड़क, पुल, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युतीकरण, लघु सिंचाई, वनीकरण, अधिवक्ता चैम्बर निर्माण आदि कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 1000.04 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 1000.04 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य भवन	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0303- अधिवक्ताओं के चैम्बर्स / पुस्तकालय/बार काउन्सिल भवन/ तहसील स्तर पर अधिवक्ता / वादकारी के लिये स्थायी ढांचे के निर्माण के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01- सामान्य शिक्षा	
202- माध्यमिक शिक्षा	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1.00
203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1.00
02- तकनीकी शिक्षा	
104- बहुशिल्प	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- राजकीय पॉलीटेक्निक का भवन निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	4000.00
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1.00
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1.00

4215-	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	
	01- जलपूर्ति	
	101- शहरी जल पूर्ति	
	03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301-	जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00
	102- ग्रामीण जल पूर्ति	
	03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301-	जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	8000.00
	02- मल-जल तथा सफाई	
	101- शहरी सफाई सेवाएं	
	03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301-	जल निकासी कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00
	106- मल-जल सेवाएं	
	03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301-	मल जल सेवाओं के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00
4250-	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
	203- रोजगार	
	03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301-	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का भवन निर्माण	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	3000.00
4406-	वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	
	01- वानिकी	
	102- समाज तथा फार्म वानिकी	
	03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301-	वनीकरण कार्यक्रम	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00
4702-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	
	800- अन्य व्यय	
	03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301-	लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
05- संचरण तथा वितरण	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- विद्युत वितरण/विद्युत केन्द्र/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10000.00
06- ग्रामीण विद्युतीकरण	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- विद्युतीकरण/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2000.00
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2000.00
5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
101- पुल	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0302- नये सेतुओं के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10000.00
337- सड़क निर्माण कार्य	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	35000.00
0302- शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00
	<hr/>
योग -	40000.00
	<hr/>
कुल योग -	100004.00
	<hr/>

अनुदान संख्या 042

न्याय विभाग

राज्य लोक सेवा अधिकरण में ई-कोर्ट, काजलिस्ट डिस्प्ले सिस्टम एवं अभिलेखों का डिजिटाइजेशन

राज्य लोक सेवा अधिकरण में ई-कोर्ट, काजलिस्ट डिस्प्ले सिस्टम एवं अभिलेखों का डिजिटाइजेशन कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2014- न्याय प्रशासन	
800- अन्य व्यय	
09- लोक सेवा अधिकरण	
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	200.00

मा. उच्च न्यायालय के उपयोगार्थ कांफ्रेंस हाल एवं वी.वी.आई.पी. सूट का निर्माण

मा. उच्च न्यायालय के उपयोगार्थ थार्नहिल रोड पर कांफ्रेंस हाल एवं वी.वी.आई.पी. सूट के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 40.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01- कार्यालय भवन	
051- निर्माण	
04- मा. उच्च न्यायालय में निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	19000.00

मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में मल्टीलेवल पार्किंग एवं एडवोकेट चैम्बर का निर्माण

मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में मल्टीलेवल पार्किंग एवं एडवोकेट चैम्बर का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01- कार्यालय भवन	
051- निर्माण	
04- मा. उच्च न्यायालय में निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	19000.00

अधीनस्थ न्यायालयों में अग्निशमन प्रणाली की स्थापना

प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में अग्निशमन प्रणाली की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051- निर्माण

17- अधीनस्थ न्यायालयों में अग्निशमन प्रणाली की स्थापना

24-वृहत् निर्माण कार्य

2000.00

अनुदान संख्या 044

पर्यटन विभाग

उत्तर प्रदेश में ईको टूरिज्म का विकास

प्रदेश में विपुल वन सम्पदा एवं विभिन्न वन्य जीव विहारों के माध्यम से ईको-टूरिज्म को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से कुकरैल अभ्यारण्य कतरनिया घाट अभ्यारण्य, सोहगीबरवा अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी विहार, दुधवा नेशनल पार्क एवं चम्बल अभ्यारण्य आदि वन्यजीव विहारों में पर्यटकों को आकर्षित किये जाने के लिये मूलभूत सुविधाओं का विकास / सुजन, ईको टूरिज्म ट्रेल हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

104- संवर्धन तथा प्रचार

10- इको टूरिज्म का विकास

24-वृहत् निर्माण कार्य

500.00

जनपद अलीगढ में फूड क्राफ्ट संस्थान के भवन हेतु भूमि क्रय

जनपद अलीगढ में फूड क्राफ्ट संस्थान के भवन के लिये भूमि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

104- संवर्धन तथा प्रचार

11- अलीगढ फूड क्राफ्ट संस्थान

24-वृहत् निर्माण कार्य

500.00

अनुदान संख्या 049
महिला एवं बाल कल्याण विभाग

बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय

बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के अन्तर्गत अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों को केन्द्र पुरोनिधानित योजना से समाप्त किये जाने के फलस्वरूप उक्त व्ययों को राज्य सरकार द्वारा किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 13458.90 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 13458.90 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	
02-	समाज कल्याण	
102-	बाल कल्याण	
03-	बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	
01-	वेतन	8538.78
03-	मंहगाई भत्ता	1280.82
04-	यात्रा व्यय	130.00
05-	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	16.00
06-	अन्य भत्ते	40.00
07-	मानदेय	1.00
08-	कार्यालय व्यय	195.00
09-	विद्युत देय	50.00
10-	जलकर / जल प्रभार	10.00
11-	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	190.00
12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	35.00
13-	टेलीफोन पर व्यय	43.00
15-	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	75.00
16-	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	780.00
17-	किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	200.00
18-	प्रकाशन	15.00
19-	विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	20.00
29-	अनुरक्षण	107.20
42-	अन्य व्यय	
		मतदेय
		भारित
44-	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	15.20
45-	अवकाश यात्रा व्यय	6.00
46-	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10.00
47-	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	157.00
49-	चिकित्सा व्यय	61.00
51-	वर्दी व्यय	13.50

52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)		740.00
55-मकान किराया भत्ता		536.80
56-नगर प्रतिकर भत्ता		52.60
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान		5.00
	योग -	<u>13453.90</u>
	मतदेय	
	भारित	<u>5.00</u>

कन्या सुमंगला योजना

बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने तथा उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने, एवं उनके प्रति सम्मान-भाव जागृत किये जाने के उद्देश्य से "कन्या सुमंगला योजना" लागू की जानी प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 1200.00 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 1200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02- समाज कल्याण

102- बाल कल्याण

04- कन्या सुमंगला योजना

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

120000.00

अनुदान संख्या 050

राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

प्रदेश के मण्डल / जनपद / तहसीलों के अनावासीय भवनों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / विस्तार / सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय

प्रदेश के मण्डल / जनपद / तहसीलों में राजस्व विभाग के अनावासीय भवनों के नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / विस्तार / सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01- कार्यालय भवन	
051- निर्माण	
02- प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के नवनिर्माण / विस्तार /पुनर्निर्माण / सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1500.00

प्रदेश के मण्डल / जनपद / तहसीलों के आवासीय भवनों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / विस्तार / सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय

प्रदेश के मण्डल / जनपद / तहसीलों के आवासीय भवनों के नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / विस्तार / सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 5095.37 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 5095.37 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	
01- सरकारी रिहायशी भवन	
106- साधारण पूल आवास	
03- आवासीय भवन	
0301- प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/विस्तार/सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5095.37

अनुदान संख्या 052

राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व परिषद् के अनावासीय भवनों में निर्माण

राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ मुख्यालय के अनावासीय भवनों में विभिन्न निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 274.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 274.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

800- अन्य व्यय

04- राजस्व परिषद्, लखनऊ / इलाहाबाद के अनावासीय भवनों में विभिन्न निर्माण कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य

274.00

राजस्व परिषद् के आवासीय भवनों में विभिन्न निर्माण कार्य

राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ / प्रयागराज मुख्यालय के आवासीय भवनों में विभिन्न निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 18.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 18.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

01- सरकारी रिहायशी भवन

700- अन्य आवास

03- राजस्व परिषद् के आवासीय भवन

24-वृहत् निर्माण कार्य

18.00

अनुदान संख्या 055
लोक निर्माण विभाग (भवन)

सर्किट हाउस / निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवन

प्रदेश के नवसृजित जनपदों में सर्किट हाउस / निरीक्षण भवन / कार्यालय भवनों के लिये फर्नीचर एवं अन्य उपकरण की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2059- लोक निर्माण कार्य	
80- सामान्य	
053- रखरखाव तथा मरम्मत	
06- सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, -सामान्य एवं विशेष मरम्मत	
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200.00

कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 25.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01- कार्यालय भवन	
051- निर्माण	
06- निर्माण - लोक निर्माण	
0604- कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार	
24-वृहत् निर्माण कार्य	25.00

कार्यालय भवनों का निर्माण

प्रदेश के नवसृजित जनपदों में कार्यालय भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01- कार्यालय भवन	
051- निर्माण	
06- निर्माण - लोक निर्माण	
0607- विभिन्न जनपदों (नवसृजित जनपदों सहित) में नये कार्यालय भवनों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00

अनावासीय भवनों का उन्नयन / सुदृढीकरण

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अनावासीय भवनों में उन्नयन / सुदृढीकरण कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 305.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 305.00 लाख की व्यवस्था कर ली

गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य भवन	
051- निर्माण	
03- अनावासीय भवनों का उन्नयन/सुदृढीकरण के नये कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	305.00

सर्किट हाउस / निरीक्षण भवन में जनरेटर की स्थापना

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सर्किट हाउस / निरीक्षण भवन में जनरेटर की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 80.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 80.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
11- प्रदेश के निरीक्षण भवनों / सर्किट हाउसों में जनरेटर की स्थापना	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	80.00

निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 900.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 900.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
18- निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार के नये कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	900.00

राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य

राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न भवनों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 130.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 130.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
20- राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	130.00

अधिकारी हास्टल एवं ट्रांजिट हास्टल का निर्माण

प्रदेश के जनपदों जहाँ अधिकारी हास्टल / ट्रांजिट हास्टल नहीं हैं, वहाँ अधिकारी हास्टल / ट्रांजिट हास्टल का निर्माण कराया जाना एवं वर्तमान ट्रांजिट हास्टल का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 250.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 250.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
22- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये अधिकारी हास्टल/ट्रांजिट हास्टल का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	250.00

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण

लोक सेवा आयोग परिसर, प्रयागराज में विभिन्न भवनों का विस्तार एवं नये भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
25- लोक सेवा आयोग परिसर, प्रयागराज में आवासीय/अनावासीय नये भवनों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	50.00

आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग

लोक निर्माण विभाग के विभिन्न आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 30.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 30.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
27- आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नये कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	30.00

दिव्यांगजनों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान

प्रदेश के विभिन्न आवासीय / अनावासीय भवनों जहाँ दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु रैम्प, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, में रैम्प तथा शौचालय का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 30.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 30.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
29- दिव्यांगजनों का आर्थिक सामाजिक उत्थान का कार्य (नये कार्य)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	30.00

जनपदों में पूल्ड आवासों का निर्माण

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिकारियों / कर्मचारियों के अध्यासन के लिये नये पूल्ड आवासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 400.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 400.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	
01- सरकारी रिहायशी भवन	
106- साधारण पूल आवास	
03- निर्माण - लोक निर्माण	
0305- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये पूल्ड आवासों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	400.00

आवासीय भवनों का निर्माण

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों के आवास के लिये प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

01- सरकारी रिहायशी भवन

700- अन्य आवास

05- निर्माण-अन्य

0537- कर्मचारियों / अधिकारियों के नये आवासीय भवनों का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

500.00

अनुदान संख्या 056

लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)

पूर्वांचल क्षेत्र की विशेष योजनायें

पूर्वांचल क्षेत्र के विकास की विशेष योजनाओं के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय

60- अन्य

800- अन्य व्यय

03- पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

24-वृहत् निर्माण कार्य

20000.00

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास की विशेष योजनाओं के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 140.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 140.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय

60- अन्य

800- अन्य व्यय

04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

24-वृहत् निर्माण कार्य

14000.00

अनुदान संख्या 057

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा सेतुओं के निर्माण के लिये वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन का भुगतान

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा सेतुओं के निर्माण के लिये वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 77.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 77.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

3054- सड़क तथा सेतु	
03- राजकीय राजमार्ग	
800- अन्य व्यय	
05- उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा सेतुओं के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु सहायता	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	7700.00

ग्रामीण सेतुओं का निर्माण

ग्रामीण सेतुओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 90.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 90.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
101- पुल	
04- सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)	
0403- ग्रामीण सेतुओं का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	9000.00

रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण

रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 55.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 55.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
101- पुल	
05- रेलवे उपरिगामी सेतु	
0517- रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5500.00

सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)

नाबार्ड पोषित योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 90.00

करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 90.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

101- पुल

36- प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)

24-वृहत् निर्माण कार्य

9000.00

अनुदान संख्या 058

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण

महत्वपूर्ण राज्य राजमार्गों के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 134.73 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 134.73 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03- राज्य राजमार्ग

337- सड़क निर्माण कार्य

03- राज्य राजमार्गों का निर्माण कार्य

0306- राज्य राजमार्गों के सुदृढीकरण / चौड़ीकरण के नए कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य

13473.00

प्रमुख व अन्य जिला मार्गों का उच्चिकरण

प्रमुख व अन्य जिला मार्गों के उच्चिकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 393.95 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 393.95 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03- राज्य राजमार्ग

337- सड़क निर्माण कार्य

13- एकमुश्त व्यवस्था

1328- प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के उच्चिकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य

39395.00

तहसील एवं ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण

प्रदेश के समस्त तहसील एवं ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03- राज्य राजमार्ग

337- सड़क निर्माण कार्य

13- एकमुश्त व्यवस्था

1347- प 0 दीन दयाल उपाध्याय योजना के अर्न्तगत तहसील/ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का

निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढीकरण

24-वृहत् निर्माण कार्य

10000.00

शहरों के बाईपास, रिंग रोड एवं फ्लाई ओवर का निर्माण

शहरों के बाईपास, रिग रोड एवं फ्लाई ओवर के निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
03- राज्य राजमार्ग	
337- सड़क निर्माण कार्य	
85- शहरों के बाईपास/रिग रोड/फ्लाईओवर के निर्माण के नये कार्यों की व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00

राज्य राजमार्गों का उन्नयन, सुदृढीकरण और निर्माण

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से प्रदेश में राज्य राजमार्गों का उन्नयन, सुदृढीकरण और निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 44.80 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 44.80 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
03- राज्य राजमार्ग	
800- अन्य व्यय	
03- उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण	
0301- राज्य राजमार्गों के उन्नयन, सुदृढीकरण और निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	4480.00

प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था

प्रदेश में मार्गों के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 225.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 225.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
337- सड़क निर्माण कार्य	
13- एक मुश्त व्यवस्था	
1330- प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिए एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	22500.00

ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण

जिला योजनान्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं के लिये ग्रामीण सम्पर्क मार्गों एवं लघु सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
337- सड़क निर्माण कार्य	
13- एक मुश्त व्यवस्था	
1332- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (जिला योजना)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण

जिला योजनान्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं के लिये ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण के निर्माण कार्य कराये जाने प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
337- सड़क निर्माण कार्य	
13- एक मुश्त व्यवस्था	
1334- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00

क्षतिपूरक वनीकरण का भुगतान

मार्ग निर्माण अथवा चौड़ीकरण के समय वन क्षेत्र में लगे पेड़ों को काटने की अनुमति प्राप्त किये जाने के पूर्व क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि वन विभाग को दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
337- सड़क निर्माण कार्य	
13- एक मुश्त व्यवस्था	
1335- क्षतिपूरक वनीकरण के भुगतान हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00

दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में ब्लैक स्पॉट का सुधार / सौन्दर्यीकरण / मार्ग सुरक्षा कार्य

प्रदेश में दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट के सुधार, सौन्दर्यीकरण एवं विभिन्न मार्ग सुरक्षा कार्य को कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु

वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 39.20 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 39.20 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
337- सड़क निर्माण कार्य	
14- दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	3920.00

गंग नहर की दायी पटरी का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण

गंग नहर की दायी पटरी का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
337- सड़क निर्माण कार्य	
16- गंग नहर की दायी पटरी का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00

अन्तर्राज्यीय / अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण

प्रदेश के अन्तर्राज्यीय / अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
337- सड़क निर्माण कार्य	
17- प्रदेश के अन्तर्राज्यीय / अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	20000.00

ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों का निर्माण

कृषि विपणन सुविधाओं के लिये राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिये ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04-	जिला तथा अन्य सड़कें	
337-	सड़क निर्माण कार्य	
18-	कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के निर्माण	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	10000.00

आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण

नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 60.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 60.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04-	जिला तथा अन्य सड़कें	
337-	सड़क निर्माण कार्य	
66-	कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	6000.00

आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढीकरण

नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के नये कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04-	जिला तथा अन्य सड़कें	
337-	सड़क निर्माण कार्य	
86-	नाबार्ड वित्त पोषित आर 0 आई 0 डी 0 एफ 0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के नये कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	10000.00

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण

प्रदेश के समस्त अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के निर्माण के चालू कार्यों को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 300.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के

आय-व्ययक में रुपये 300.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04-	जिला तथा अन्य सड़कें	
337-	सड़क निर्माण कार्य	
96-	पं दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य)	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	30000.00

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण

प्रदेश के समस्त अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04-	जिला तथा अन्य सड़कें	
337-	सड़क निर्माण कार्य	
99-	पं दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं का निर्माण	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	20000.00

केन्द्रीय सड़क निधि से मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढीकरण

प्रदेश के मार्गों पर बढ़ते हुये भारी यातायात के दृष्टिगत केन्द्रीय सड़क निधि से महत्वपूर्ण राज्य मार्ग / प्रमुख जिला / अन्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04-	जिला तथा अन्य सड़कें	
800-	अन्य व्यय	
04-	केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य	
0470-	मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (के. 100/रा.0-के.)	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	1000.00

विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना

विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत नये कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
05-	अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्वकी सड़कें	
337-	सड़क निर्माण कार्य	
97-	वाह्य सहायतित परियोजनायें	
9702-	विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	5000.00

एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश जिला सड़क परियोजना

एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश जिला सड़क परियोजना के अन्तर्गत नये कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
05-	अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्वकी सड़कें	
337-	सड़क निर्माण कार्य	
97-	वाह्य सहायतित परियोजनायें	
9704-	एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उ 0 प्र 0 जिला सड़क परियोजना के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	1000.00

अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण / उच्चिकरण

लोक निर्माण विभाग के अन्वेषणालय की 13 प्रयोगशालाओं तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की 13 प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण / उच्चिकरण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 110.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 110.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
80-	सामान्य	
004-	अनुसंधान	
04-	अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/उच्चिकरण	
26-	मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	110.00

सूचना प्रौद्योगिकी का प्रबन्धन एवं नियोजन

लोक निर्माण विभाग के कम्प्यूटराइजेशन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबन्धन एवं नियोजन के नये कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

05- सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबंधन एवं नियोजन के कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

500.00

अनुदान संख्या 059

लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

लोक भवन के अनुरक्षण कार्य

नवनिर्मित लोक भवन, सचिवालय के अनुरक्षण कार्य एवं विद्युत उपकरणों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 911.45 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 911.45 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2059- लोक निर्माण कार्य	
01- कार्यालय भवन	
053- रखरखाव तथा मरम्मत	
10- लोक भवन	
1001- भवन पर आवश्यक देयता तथा अन्य व्यय	
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	592.00
1002- भवन के विद्युत अनुरक्षण कार्य	
29-अनुरक्षण	26.61
1003- भवन के सिविल अनुरक्षण कार्य	
29-अनुरक्षण	106.48
1004- भवन में वातानुकूलन संयंत्रों का रख रखाव / अनुरक्षण	
29-अनुरक्षण	130.00
1005- भवन में लिफ्टों का रख रखाव / अनुरक्षण	
29-अनुरक्षण	11.36
1006- भवन में अग्निशमन उपकरणों का रख रखाव / अनुरक्षण	
29-अनुरक्षण	45.00
	योग -
	911.45

रमाबाई अम्बेडकर अतिथि गृह / बौद्ध विहार शान्ति उपवन / मा. कांशीराम जी ग्रीन (ईको) गार्डन

रमाबाई अम्बेडकर अतिथि गृह / बौद्ध विहार शान्ति उपवन / मा. कांशीराम जी ग्रीन (ईको) गार्डन के अनुरक्षण कार्य एवं विद्युत उपकरणों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 29.07 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 29.07 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2059- लोक निर्माण कार्य

60- अन्य भवन

053- रखरखाव तथा मरम्मत

06- रमाबाई अम्बेडकर अतिथि गृह , बौद्ध विहार शान्ति उपवन , मा0 कांशीराम जी ग्रीन (ईको) गार्डन

0601- अतिथि गृह पर आवश्यक देयता

16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

6.15

0602- अतिथि गृहों के विद्युत अनुरक्षण कार्य

29-अनुरक्षण

1.91

0603- अतिथि गृहों के सिविल अनुरक्षण कार्य

29-अनुरक्षण

7.67

0604- अतिथि गृहों के वातानुकूलन संयंत्रों का रख रखाव

29-अनुरक्षण

3.00

0605- अतिथि गृहों के अग्निशमन का रख रखाव

29-अनुरक्षण

10.34

योग -

29.07

अनुदान संख्या 060

वन विभाग

नेशनल बैम्बू मिशन योजना

किसानों को रोजगार के अवसर, उत्पादकता एवं आय सृजन के साधन तथा ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से छोटे किसानों की आजीविका के संसाधनों में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से "राष्ट्रीय बैम्बू मिशन योजना" के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 267.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 267.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2406- वानिकी तथा वन्य जीव	
01- वानिकी	
102- समाज तथा फार्म वानिकी	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0101- नेशनल बैम्बू मिशन योजना (के.60/रा40-के.+रा.)	
04-यात्रा व्यय	15.00
08-कार्यालय व्यय	50.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	35.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	167.00
	267.00
योग -	

उ.प्र. प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि से वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुसार याचक विभागों से क्षतिपूर्क वनीकरण, जलग्रहण क्षेत्र शोधन योजना समेकित वन्य जीव प्रबन्ध योजना, वन भूमि का निबल वर्तमान मूल्य के रूप में प्राप्त उ.प्र.प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि में जमा धनराशि को राज्य की समेकित निधि से व्यय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2406-	वानिकी तथा वन्य जीव	
04-	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास	
103-	राज्य प्रतिकारात्मक वन रोपण	
03-	राज्य प्राधिकरण	
0301-	क्षतिपूर्क वनीकरण	
42-	अन्य व्यय	2400.00
0302-	जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना	
42-	अन्य व्यय	284.00
0303-	समेकित वन्य जीव प्रबन्ध योजना	
42-	अन्य व्यय	1.00
0304-	वन भूमि का निबल वर्तमान मूल्य	
42-	अन्य व्यय	16000.00
0305-	ब्याज	
01-	वेतन	194.00
02-	मजदूरी	248.00
03-	मंहगाई भत्ता	40.00
04-	यात्रा व्यय	4.00
05-	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.00
06-	अन्य भत्ते	0.50
08-	कार्यालय व्यय	5.00
09-	विद्युत देय	10.00
10-	जलकर / जल प्रभार	3.00
11-	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	4.00
12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	8.00
13-	टेलीफोन पर व्यय	1.50
14-	मोटर गाड़ियों का क्रय	200.00
15-	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10.00
16-	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	102.00
17-	किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	17.00
18-	प्रकाशन	3.00
19-	विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	3.00

22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	4.00
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	204.00
29-अनुरक्षण	3.00
42-अन्य व्यय	70.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	7.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	3.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	7.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5.50
49-चिकित्सा व्यय	7.00
51-वर्दी व्यय	1.50
55-मकान किराया भत्ता	24.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	4.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	119.00
	1315.00
योग -	
	20000.00

नेशनल बैम्बू मिशन योजना

किसानों को रोजगार के अवसर, उत्पादकता एवं आय सृजन के साधन तथा ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से छोटे किसानों की आजीविका के संसाधनों में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से "राष्ट्रीय बैम्बू मिशन योजना" के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 1792.50 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 1792.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	
01- वानिकी	
102- समाज तथा फार्म वानिकी	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0101- नेशनल बैम्बू मिशन योजना (के.60/रा40-के.+रा.)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1341.50
42-अन्य व्यय	451.00
	1792.50
योग -	

विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खदानों एवं पठारी / पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षारोपण

विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में छोड़ी गयी खदानों एवं पठारी / पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय

01- वानिकी

102- समाज तथा फार्म वानिकी

17- विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में छोड़ी गयी खदानों तथा पठारी / पहाड़ी क्षेत्र में वृक्षारोपण परियोजना (सी0 सी0 एल 0 प्रणाली)

24-वृहत् निर्माण कार्य

100.00

अनुदान संख्या 061

वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों को अन्तरण

राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों को अन्तरण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 175.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 175.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2217- शहरी विकास

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

03- राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों को अन्तरण

42-अन्य व्यय

17500.00

दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से नगरीय निकायों की देयताओं का भुगतान

राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से नगरीय निकायों की देयताओं का भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2217- शहरी विकास

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

04- राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से नगरीय निकायों की देयताओं का भुगतान

42-अन्य व्यय

20000.00

दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड में अन्तरण

राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड में अन्तरण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2217- शहरी विकास

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

05- राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का डेडिकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड में अन्तरण

42-अन्य व्यय

15000.00

अनुदान संख्या 067

विधान परिषद् सचिवालय

विधान परिषद् सभा मण्डप की गैलरियों का सौन्दर्यीकरण, वातानुकूलन एवं अग्निशमन सम्बन्धी कार्य

विधान परिषद् सभा मण्डप के बाहर की गैलरी, पोर्टिको तथा अन्य गैलरी का सौन्दर्यीकरण, वातानुकूलन एवं अग्निशमन सम्बन्धी कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 651.38 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 651.38 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
03- विधान परिषद् परिसर में सिविल एवं विद्युत संबंधी कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	688.50

विधान परिषद् परिसर में सिविल एवं विद्युत सम्बन्धी कार्य

विधान परिषद् के मा. सभापति, समितियों के कक्ष संख्या-76, मार्शल कक्ष, उप सचिव / अनु सचिव कक्ष में विभिन्न सिविल, विद्युत, वातानुकूलन, अग्निशमन तथा सदन के कोरम वेल सम्बन्धी कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 37.12 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 37.12 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
03- विधान परिषद् परिसर में सिविल एवं विद्युत संबंधी कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	688.50

विधान परिषद् की कार्यवाही की रिकार्डिंग एवं सजीव प्रसारण

विधान परिषद् की कार्यवाही की रिकार्डिंग तथा सजीव प्रसारण सम्बन्धी कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 110.78 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 110.78 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
05- विधान परिषद् की कार्यवाही की रिकार्डिंग तथा सजीव प्रसारण संबंधी कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	110.78

अनुदान संख्या 068

विधान सभा सचिवालय

कैमरे एवं उपकरणों का अनुरक्षण

विधान सभा की कार्यवाही के सजीव प्रसारण के लिये लगवाये गये कैमरे एवं उपकरणों के वार्षिक अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 46.78 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 46.78 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

101- विधान सभा

03- विधान सभा

08-कार्यालय व्यय

77.73

सी.सी.टी.वी. सर्विलांस कैमरा प्रणाली का अनुरक्षण

विधान सभा में स्थापित सी.सी.टी.वी. सर्विलांस कैमरा प्रणाली का वार्षिक अनुरक्षण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 30.95 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 30.95 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

101- विधान सभा

03- विधान सभा

08-कार्यालय व्यय

77.73

मा. अध्यक्ष विधान सभा के स्टाफ कक्ष हेतु फर्नीचर

मा. अध्यक्ष विधान सभा के स्टाफ कक्ष के लिये फर्नीचर हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 4.23 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 4.23 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

103- विधान मण्डल सचिवालय

03- विधान सभा सचिवालय

12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण

4.23

विधान सभा सचिवालय में ई-ऑफिस व्यवस्था

विधान सभा सचिवालय में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू किये जाने के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर / हार्डवेयर तथा ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर के लाइसेंस के क्रय किये जाने के लिये रुपये 248.01 लाख तथा इसके लिये मैन पावर के वेतनादि के लिये रुपये 26.72 लाख अर्थात् इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 274.73 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 274.73 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	
02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	
103- विधान मण्डल सचिवालय	
03- विधान सभा सचिवालय	
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	248.01
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	26.72
	<hr/>
योग -	274.73
	<hr/>

विधान सभा मण्डप की दीर्घाओं के अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य

विधान सभा मण्डप के ऊपरी तल पर स्थित सचिवालय / विशिष्ट / मीडिया / दर्शक दीर्घाओं के पुराने व क्षतिग्रस्त कारपेट बदलवाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 11.54 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 11.54 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
2059- लोक निर्माण कार्य	
80- सामान्य	
053- रखरखाव तथा मरम्मत	
03- विधान सभा सचिवालय के अनावासीय भवनों की मरम्मत	
0301- सामान्य मरम्मत	
29-अनुरक्षण	11.54

कार्यालय कक्षों में विद्युत सुरक्षात्मक उपकरण / अवयवों की स्थापना एवं जीर्णोद्धार

विधान सभा सचिवालय के कार्यालय कक्षों में विद्युत सुरक्षात्मक उपकरण / अवयवों की स्थापना एवं जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 8.90 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 8.90 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
2059- लोक निर्माण कार्य	
80- सामान्य	
053- रखरखाव तथा मरम्मत	
03- विधान सभा सचिवालय के अनावासीय भवनों की मरम्मत	
0302- विशेष मरम्मत	
29-अनुरक्षण	8.90

विधान सभा परिसर में सिविल एवं विद्युत सम्बन्धी विभिन्न कार्य

विधान सभा परिसर के सिविल एवं विद्युत सम्बन्धी विभिन्न कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 136.65 लाख की आवश्यकता है।
तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 136.65 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

13- विधान सभा परिसर में सिविल एवं विद्युत संबन्धी कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य

136.65

अनुदान संख्या 070
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम अनुदान योजना

जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम अनुदान योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2810- अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत

02- सौर

101- सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम

03- विज्ञान एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

0308- जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम अनुदान योजना

27-सब्सिडी

1000.00

वायु संसाधन मूल्यांकन योजना

पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन की सम्भावनाओं के दृष्टिगत जनपद लखीमपुर के हरदोपट्टी ग्राम में 100 मीटर ऊँचाई का वायु वेग मास्ट स्थापित कर वायु संसाधन मूल्यांकन कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 16.80 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 16.80 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2810- अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत

60- अन्य

800- अन्य व्यय

10- वायु संसाधन मूल्यांकन योजना का क्रियान्वयन

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

16.80

अनुदान संख्या 071

शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

वनटांगिया ग्रामों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

वनटांगिया ग्रामों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से वनटांगिया ग्रामों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिये राजस्व पक्ष में रुपये 10.00 लाख तथा पूंजीगत पक्ष में रुपये 490.00 लाख अर्थात् इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा	
01- प्रारम्भिक शिक्षा	
102- अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	
09- वनटांगिया ग्रामों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय	
31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	10.00
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01- सामान्य शिक्षा	
201- प्रारम्भिक शिक्षा -	
11- वनटांगिया ग्रामों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	490.00
	500.00
कुल योग -	500.00

अनुदान संख्या 072
शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

"मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार" योजना

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ.प्र. से मान्यता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय (वित्त विहीन) में कार्यरत शिक्षकों को "मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार" से सम्मानित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा	
02- माध्यमिक शिक्षा	
104- अध्यापक तथा अन्य सेवायें	
06- ' मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार '	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	10.00

सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं उसका थर्ड पार्टी मूल्यांकन

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के लिये सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाये जाने एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता का थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा	
02- माध्यमिक शिक्षा	
105- अध्यापक प्रशिक्षण	
03- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण एवं थर्ड पार्टी मूल्यांकन	
42-अन्य व्यय	100.00

अधिकारियों, प्रधानाचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण

विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अधिकारियों तथा माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों की क्षमता संवर्धन के लिये उन्हें प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 15.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 15.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा	
02- माध्यमिक शिक्षा	
105- अध्यापक प्रशिक्षण	
04- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु अधिकारियों / प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक का प्रशिक्षण	
42-अन्य व्यय	15.00

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों (बालक / बालिका) में सी.सी.टी.वी. कैमरों एवं वॉयस रिकार्डर की स्थापना

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं तथा अध्यापकों के कार्यकलाप का पर्यवेक्षण तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ.प्र., प्रयागराज की परीक्षाओं में शुचिता बनाये रखने एवं नकल विहीन परीक्षा सम्पादित कराये जाने के उद्देश्य से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों (बालक /

बालिका) में सी.सी.टी.वी. कैमरों एवं वॉयस रिकार्डर की स्थापना कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 627.66 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 627.66 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा

02- माध्यमिक शिक्षा

109- राजकीय माध्यमिक विद्यालय

09- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों (बालक / बालिका) में सी0 सी0 टी0 वी0 कैमरा एवं वॉयस रिकार्डर की स्थापना

42-अन्य व्यय

627.66

अनुदान संख्या 073

शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

लखनऊ विश्वविद्यालय में "अटल सुशासन पीठ" की स्थापना

भारत रत्न मा. अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन सम्बन्धी विचारों पर शोध कार्य को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से लखनऊ, विश्वविद्यालय, लखनऊ के लोक प्रशासन विभाग में "अटल सुशासन पीठ" की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा	
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	
102- विश्वविद्यालयों को सहायता	
29- लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	
2911- अटल सुशासन पीठ की स्थापना	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	200.00

दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय में महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ पीठ की स्थापना

दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय में महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ पीठ की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 63.60 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 63.60 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा	
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	
102- विश्वविद्यालयों को सहायता	
34- दीन दयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ की स्थापना	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	63.60

सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना

जनपद सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01- सामान्य शिक्षा	
203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा	
35- जनपद सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालय	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00

सावित्री बाई फुले गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण

बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में 300 छात्राओं की क्षमता वाले सावित्री बाई फुले गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01- सामान्य शिक्षा

203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

36- बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में सावित्री बाई फुले गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

500.00

अनुदान संख्या 074

गृह विभाग (होमगार्ड्स)

उ.प्र. होम गार्ड्स कल्याण कोष

उ.प्र. होम गार्ड्स कल्याण कोष हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें

107- होमगार्ड्स

11- होमगार्ड्स कल्याण कोष

42-अन्य व्यय

500.00

अनुदान संख्या 076

श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना

प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बालक-बालिकाओं के लिये अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01- सामान्य शिक्षा

202- माध्यमिक शिक्षा

03- अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना

42-अन्य व्यय

5000.00

अनुदान संख्या 079

समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

दिव्यांगजनों के लिये निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राई साईकिल योजना

प्रदेश के प्रत्येक लोक सभा क्षेत्र में 100-100 दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राई साईकिल उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 32.56 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 32.56 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	
02- समाज कल्याण	
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	
20- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को मोटराइज्ड ट्राईसाकिल योजना	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	3256.00

बचपन डे-केयर सेन्टर्स की स्थापना व संचालन

महत्वाकांक्षी जनपदों - चन्दौली, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराईच एवं सोनभद्र में दिव्यांग बच्चों के लिये बचपन डे-केयर सेन्टर्स की स्थापना व संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 1055.25 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 1055.25 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	
02- समाज कल्याण	
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	
36- बचपन डे-केयर सेन्टर्स	
42-अन्य व्यय	1055.25

राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों का भवन निर्माण

राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 18.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 18.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	
02- समाज कल्याण	
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	
09- राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों का भवन निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1800.00

स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इण्टर कॉलेज, मेरठ में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण

स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इण्टर कॉलेज, मेरठ में तीन अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 21.25 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 21.25 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02- समाज कल्याण

101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

13- स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इण्टर कॉलेज

24-वृहत् निर्माण कार्य

146.75

स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इण्टर कॉलेज, लखनऊ में निर्माण कार्य

स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इण्टर कॉलेज, लखनऊ में मेस के निर्माण तथा मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 125.50 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 125.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02- समाज कल्याण

101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

13- स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इण्टर कॉलेज

24-वृहत् निर्माण कार्य

146.75

बालक / बालिका के लिये नवीन "स्पर्श" राजकीय दृष्टिबाधित के विद्यालय की स्थापना

बालक / बालिका के लिये एक नवीन "स्पर्श" राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 600.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 600.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02- समाज कल्याण

101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

14- स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक / बालिका विद्यालय

24-वृहत् निर्माण कार्य

608.00

स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका विद्यालय, सहारनपुर में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण

स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका विद्यालय, सहारनपुर में अतिरिक्त कक्ष के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 8.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 8.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02- समाज कल्याण

101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

14- स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक / बालिका विद्यालय

24-वृहत् निर्माण कार्य

608.00

बालकों / बालिकाओं के लिये 04 नवीन "ममता" मानसिक मन्दित विद्यालय की स्थापना

बालकों / बालिकाओं के लिये 04 नवीन "ममता" मानसिक मन्दित विद्यालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	
02- समाज कल्याण	
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	
15- मानसिक मंदित बालक / बालिकाओं के लिये "ममता" विद्यालय	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00

"संकेत" राजकीय मूक बधिर कॉलेज, गोरखपुर के विद्यालय भवन एवं आवासीय भवन का निर्माण

"संकेत" राजकीय मूक बधिर कॉलेज, गोरखपुर के विद्यालय भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	
02- समाज कल्याण	
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	
16- संकेत राजकीय मूक बधिर कालेज, गोरखपुर	
24-वृहत् निर्माण कार्य	50.00

स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इण्टर कॉलेज, गोरखपुर के नवीन विद्यालय भवन, बाधा रहित छात्रावास एवं कर्मचारी आवास का निर्माण

स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इण्टर कॉलेज, गोरखपुर के नवीन विद्यालय भवन, बाधा रहित छात्रावास एवं कर्मचारी आवास के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	
02- समाज कल्याण	
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	
25- स्पर्श राजकीय बालक इण्टर कालेज, गोरखपुर	
24-वृहत् निर्माण कार्य	50.00

अनुदान संख्या 081

समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ओ.एस. / टी.बी.ओ.)

प्रदेश में तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ओ.एस. / टी.बी.ओ.) हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 20.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2401- फसल कृषि कर्म

796- जनजाति क्षेत्र उपयोगना

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0109- नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ओ 0 एस 0 / टी0 बी0 ओ 0) (के.60/रा.40-के.+रा.)

27-सब्सिडी

20.00

राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम की सरल बैकयार्ड के अन्तर्गत भेड़ पालन

प्रदेश में पशुपालकों की आय में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम की सरल बैकयार्ड योजना के अन्तर्गत भेड़ पालन की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 5.94 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 5.94 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2403- पशु पालन

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

02- राष्ट्रीय पशु प्रबन्धन कार्यक्रम

0201- सरल बैकयार्ड योजना - भेड़ पालन (के.60/रा.40-के.+रा.)

39-औषधि तथा रसायन

0.20

42-अन्य व्यय

0.80

43-सामग्री एवं सम्पत्ति

4.94

योग -

5.94

राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम की सरल बैकयार्ड योजना के अन्तर्गत बकरी पालन

प्रदेश में पशुपालकों की आय में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम की सरल बैकयार्ड योजना के अन्तर्गत बकरी पालन की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 107.01 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 107.01 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
2403- पशु पालन	
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	
02- राष्ट्रीय पशु प्रबन्धन कार्यक्रम	
0202- सरल बैकयार्ड योजना - बकरी पालन (के.60/रा.40-के.+रा.)	
39-औषधि तथा रसायन	4.10
42-अन्य व्यय	1.64
43-सामग्री एवं सम्पूति	101.27
	<hr/>
योग -	107.01

राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम की सरल बैकयार्ड योजना के अन्तर्गत सूकर पालन

प्रदेश में पशुपालकों की आय में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम की सरल बैकयार्ड के अन्तर्गत सूकर पालन की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 15.87 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 15.87 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
2403- पशु पालन	
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	
02- राष्ट्रीय पशु प्रबन्धन कार्यक्रम	
0203- सरल बैकयार्ड योजना - सूकर पालन (के.60/रा.40-के.+रा.)	
39-औषधि तथा रसायन	0.96
42-अन्य व्यय	2.39
43-सामग्री एवं सम्पूति	12.52
	<hr/>
योग -	15.87

लघु वन उपजों के विपणन के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य

लघु वन उपजों के विपणन के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 80.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 80.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
2406- वानिकी तथा वन्य जीव	
01- वानिकी	
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	
03- लघु वन उपजों के विपणन हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य	
42-अन्य व्यय	80.00

अनुदान संख्या 083

समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

जनपद हापुड में आयुर्वेदिक चिकित्सालय

जनपद हापुड की तहसील धौलाना के ककराना ग्राम में आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 9.26 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 9.26 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धति	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
03- आयुर्वेदिक चिकित्सालय	
01-वेतन	7.90
02-मजदूरी	0.32
04-यात्रा व्यय	0.02
06-अन्य भत्ते	0.01
08-कार्यालय व्यय	0.05
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.05
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.25
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	0.50
37-उच्चत	0.08
42-अन्य व्यय	0.08
	9.26
योग -	9.26

आयुष्मान भारत - नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन

आयुष्मान भारत - नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 27530.58 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 27530.58 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0101- आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन (के.60/रा.40.-के. + रा.)	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	27530.58

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

आयुष्मान भारत - नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन योजना से छूटे हुये लाभार्थियों को आच्छादित किये जाने के लिये उक्त योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 2356.43 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 2356.43

लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

05- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

2356.43

नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ओ.एस. / टी.बी.ओ.)

प्रदेश में तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ओ.एस. / टी.बी.ओ.) हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 340.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 340.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2401- फसल कृषि कर्म

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0110- नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ओ 0 एस 0 / टी0 बी0 ओ 0) (के.60 / रा.40 -के.+रा)

27-सब्सिडी

340.00

इन्नोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर ब्रायलर बर्ड्स योजना

राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम की इन्नोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर ब्रायलर बर्ड्स योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 360.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 360.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2403- पशु पालन

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0111- राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम- इन्नोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फार ब्रायलर बर्ड्स (के.60/रा.40-के.+रा.)

27-सब्सिडी

360.00

इन्नोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लो इनपुट टेक्नोलॉजी बर्ड्स योजना

राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम की इन्नोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लो इनपुट टेक्नोलॉजी बर्ड्स योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 116.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 116.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2403- पशु पालन	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0112- राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम - इन्नोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फार लो इनपुट टेक्नोलॉजी बर्ड्स (के.60/रा.40-के.+रा.)	
27-सब्सिडी	116.00

जेनेटिक इम्प्रूवमेन्ट फॉर शीप एण्ड गोट

जनपद - औरैया, आगरा, इटावा एवं फिरोजाबाद में राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम की जेनेटिक इम्प्रूवमेन्ट फॉर शीप एण्ड गोट योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 565.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 565.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2403- पशु पालन	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0113- राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम - जेनेटिक इम्प्रूवमेन्ट फार शीप एण्ड गोट (के.60/रा.40-के.+रा.)	
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	40.20
42-अन्य व्यय	157.50
43-सामग्री एवं सम्पत्ति	367.30
	<hr/>
योग -	565.00

राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम की सरल बैकयार्ड योजना के अन्तर्गत भेड़ पालन

प्रदेश में पशुपालकों की आय में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम की सरल बैकयार्ड योजना के अन्तर्गत भेड़ पालन की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 165.73 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 165.73 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2403- पशु पालन

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0114- राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम - सरल बैकयार्ड के अन्तर्गत भेड़ पालन की योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)

39-औषधि तथा रसायन

5.58

42-अन्य व्यय

22.32

43-सामग्री एवं सम्पत्ति

137.83

योग -

165.73

राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम की सरल बैकयार्ड योजना के अन्तर्गत सूकर पालन

प्रदेश में पशुपालकों की आय में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम की सरल बैकयार्ड योजना के अन्तर्गत सूकर पालन की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 30.41 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 30.41 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2403- पशु पालन

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0115- राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम - सरल बैकयार्ड के अन्तर्गत सूकर पालन की योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)

39-औषधि तथा रसायन

1.85

42-अन्य व्यय

4.57

43-सामग्री एवं सम्पत्ति

23.99

योग -

30.41

राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम की सरल बैकयार्ड योजना के अन्तर्गत बकरी पालन

प्रदेश में पशुपालकों की आय में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम की सरल बैकयार्ड योजना के अन्तर्गत बकरी पालन की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 234.04 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 234.04 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
2403- पशु पालन	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0116- राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम - सरल बैकयार्ड योजनान्तर्गत बकरी पालन की योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)	
39-औषधि तथा रसायन	7.88
42-अन्य व्यय	31.52
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	194.64
	<hr/>
योग -	234.04

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.)

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.) के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में जन सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0103- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (के.100/रा.0-के.)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00

पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें

पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास की विशेष योजनाओं के नये कार्यों हेतु पूर्वांचल के लिये रुपये 100.00 करोड़ एवं बुन्देलखण्ड के लिये रुपये 60.00 करोड़ अर्थात् इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 160.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 160.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	
02- पिछड़े क्षेत्र	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
03- पूर्वांचल की विशेष योजनायें	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10000.00
04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें	
24-वृहत् निर्माण कार्य	6000.00
	<hr/>
योग -	16000.00

बाढ नियंत्रण एवं जल निकासी की परियोजना

बाढ नियंत्रण एवं जल निकासी की परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4711- बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
01- बाढ नियंत्रण	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
09- कटाव निरोधक योजनाएँ	
0984- नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाएँ	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2000.00

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त एच.टी.इन्फ्रास्ट्रक्चर

"प्रधानमंत्री सहज बिजली - हर घर योजना (सौभाग्य)" के अन्तर्गत लक्ष्य के अनुरूप अविद्युतीकृत घरों को शत-प्रतिशत विद्युतीकृत किये जाने हेतु अतिरिक्त एच.टी.इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अन्तर्गत उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि. को अंशपूँजी दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 121.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 121.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
06- ग्रामीण विद्युतीकरण	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
07- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कार्यों हेतु अंशपूँजी (के.60/रा.10/नि.30-के.+रा.)	
30-निवेश/ऋण	12100.00

राज्य / प्रमुख / अन्य जिला मार्गों का उच्चीकरण

राज्य / प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 106.05 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 106.05 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
03- राज्य राजमार्ग	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
05- राज्य प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10605.00

राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण

राज्य राजमार्गों के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 36.27 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 36.27 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03- राज्य राजमार्ग

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

06- राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य

3627.00

चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढीकरण

चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 274.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 274.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

07- अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढीकरण

24-वृहत् निर्माण कार्य

274.00

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण

चीनी मिल क्षेत्रों में चीनी मिलों को ताजा गन्ना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 30.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

09- अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

3000.00

रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्य

रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 12.20 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 12.20 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
19- रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1220.00

ग्रामीण सेतुओं का निर्माण के नये कार्य

ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के नये कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 15.50 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 15.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
20- ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1550.00

नाबार्ड के आर.आई.डी.एफ. से वित्त पोषित लघु सेतुओं का निर्माण

नाबार्ड के आर.आई.डी.एफ. से वित्त पोषित लघु सेतुओं के नये निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 26.92 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 26.92 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
21- नाबार्ड पोषित आर 0 आई 0 डी 0 एफ 0 के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2692.00

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के निर्माण (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना) हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 34.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 34.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

26- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)

24-वृहत् निर्माण कार्य

3400.00

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण एवं अन्य ग्रामीण मार्गों का निर्माण

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिये ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण एवं अन्य ग्रामीण मार्गों का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

29- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के निर्माण के नये कार्यों हेतु व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य

10000.00

अनुदान संख्या 089
संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)

वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत कार्यालय भवनों का निर्माण

वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत सहायता केन्द्रों एवं कार्यालय भवनों / आवासीय भवनों के लघु निर्माण कार्य हेतु रुपये 500.00 लाख तथा सहायता केन्द्रों एवं कार्यालय भवनों के निर्माण कार्य के लिये रुपये 2500.00 लाख अर्थात् इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 30.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051- निर्माण

31- सहायता केन्द्र / विभागीय कार्यालय भवनों / आवासीय भवनों में लघु निर्माण कार्य

25-लघु निर्माण कार्य

500.00

32- सहायता केन्द्रों एवं कार्यालय भवनों का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

2500.00

योग -

3000.00

अनुदान संख्या 091

संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

उप निबन्धक कार्यालयों में रेंटल बेसिस पर 10 एम.बी.पी.एस. की लीज़ लाईन लगाया जाना

उप निबन्धक कार्यालयों में रेंटल बेसिस पर 10 एम.बी.पी.एस. की लीज़ लाईन लगाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2030- स्टाम्प पंजीकरण

03- पंजीकरण

001- निदेशन तथा प्रशासन

06- उप निबन्धक कार्यालयों में रेंटल बेसिस पर 10 एम 0 बी0 पी0 एस 0 की लीज लाइन लगाया जाना

13-टेलीफोन पर व्यय

500.00

अनुदान संख्या 092

संस्कृति विभाग

राज्य संग्रहालय, लखनऊ में अत्याधुनिक तकनीक के अग्निशमन संयंत्र की स्थापना

राज्य संग्रहालय, लखनऊ में अत्याधुनिक तकनीक के अग्निशमन संयंत्र की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 394.75 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 394.75 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
04- कला तथा संस्कृति	
106- संग्रहालय	
07- राज्य संग्रहालय, लखनऊ में अत्याधुनिक तकनीक के अग्निशमन संयंत्र की स्थापना	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	394.75

राज्य संग्रहालय परिसर, लखनऊ में "प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय" का भवन निर्माण

राज्य संग्रहालय परिसर, लखनऊ में "प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय" के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
04- कला तथा संस्कृति	
106- संग्रहालय	
11- प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, लखनऊ	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00

मा. उच्च न्यायालय संग्रहालय, इलाहाबाद का विकास

मा. उच्च न्यायालय संग्रहालय, इलाहाबाद का विकास कराये जाने के लिये निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 5.25 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 5.25 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
04- कला तथा संस्कृति	
106- संग्रहालय	
12- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में संग्रहालय के कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5.25

वृन्दावन शोध संस्थान - मथुरा के भवन का जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण

वृन्दावन शोध संस्थान - मथुरा के भवन का जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
04- कला तथा संस्कृति	
800- अन्य व्यय	
14- वृन्दावन शोध संस्थान , वृन्दावन के भवन का जीर्णोद्धार	
24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00

वाराणसी में सांस्कृतिक संकुल का उच्चिकरण

वाराणसी में सांस्कृतिक संकुल को श्रीमती गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल के नाम से उच्चकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
04- कला तथा संस्कृति	
800- अन्य व्यय	
48- जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक संकुल का उच्चिकरण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1.00

जनपद चन्दौली में पं. दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति, मेमोरियल ब्लाक एवं वैदिक उद्यान

जनपद चन्दौली के पडाव चौराहे के निकट पं. दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति लगवाये जाने तथा मेमोरियल ब्लाक एवं वैदिक उद्यान की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
04- कला तथा संस्कृति	
800- अन्य व्यय	
49- जनपद चन्दौली के पडाव चौराहे के निकट पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति, मेमोरियल ब्लॉक एवं वैदिक उद्यान की स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1.00

राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह, कैसरबाग, लखनऊ का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण

राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह, कैसरबाग, लखनऊ का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

04- कला तथा संस्कृति

800- अन्य व्यय

50- राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह, कैसरबाग, लखनऊ का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण

24-वृहत् निर्माण कार्य

100.00

अनुदान संख्या 094
सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

मुख्य- सिंचाई की परियोजनायें

मुख्य- सिंचाई के विभिन्न संगठनों में स्थापित प्रणाली के सुचारु रूप से संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2700- मुख्य सिंचाई	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
16- कुलाबा समिति, अल्पिका समिति, राजबहा समिति, मतदाता सूची तैयार करने, मोबलाइजेशन निर्वाचन की प्रक्रिया, जल उपभोक्ता समितियों का सम्प्रेक्षण (आडिट) व अन्य	
42-अन्य व्यय	500.00

मध्यम सिंचाई की परियोजनायें

मध्यम सिंचाई के विभिन्न संगठनों में स्थापित प्रणाली के सुचारु रूप से संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2701- मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
16- जल उपभोक्ता समितियां	
1601- कुलाबा समिति, अल्पिका समिति, राजबहा समिति, मतदाता सूची तैयार करने, मोबलाइजेशन निर्वाचन की प्रक्रिया, जल उपभोक्ता समितियों का सम्प्रेक्षण (आडिट) व अन्य	
42-अन्य व्यय	200.00

मुख्य- सिंचाई की परियोजनायें

मुख्य- सिंचाई की निम्नांकित परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 388.60 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 388.60 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	
04- अपर गंगा नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00
06- पूर्वी यमुना नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	80.00
07- आगरा नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00
17- आगरा शहर में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल ताज महल की नींव की सुरक्षा, नौकायन, सौन्दर्यीकरण व दृश्याभिराम,वातावरण बनाने, पानी भण्डारण करने, भू-जल स्तर सुधारने हेतु ताज महल के 1.50 किमी0 डाउन स्ट्रीम में रबर बैराज की निर्माण की परियोजना (वाणिज्यिक)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	600.00
	योग -
	1100.00
08- शारदा नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00
09- शारदा सहायक (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1200.00
10- केन बेतवा लिंक नहर परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- सम्बद्ध कार्य	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	160.00

14- राजघाट नहर परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	20000.00
11- शाखायें	
1114- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1600.00
	<hr/>
	योग - 21600.00
	<hr/>
18- बाणसागर बांध परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1400.00
19- पूर्वी गंगा नहर परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	600.00
1015- अरिल नदी का पुनर्जीवन एवं आंवला लिफ्ट कैनाल सिंचाई परियोजना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	40.00
	<hr/>
	योग - 640.00
	<hr/>
22- मध्य गंगा नहर परियोजना-द्वितीय चरण (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	80.00
23- बदायूं सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1013- सम्बद्ध कार्य (नाबार्ड)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	6000.00
29- रतौली बियर बांध (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1015- रतौली बियर बांध के अवशेष कार्य की परियोजना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1200.00
30- क्योलारी बांध परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	

1015- क्योलारी बांध सहायक परियोजना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	400.00
97- राज्य वित्त पोषित सिंचाई परियोजना(वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	4000.00
	<hr/>
कुल योग -	38860.00
	<hr/>

मध्यम सिंचाई की परियोजनायें

मध्यम सिंचाई की निम्नांकित परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 68.40 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 68.40 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	
05- घाघर एवं गरई नहरें (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1006- पुनर्स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1600.00
33- देवकली पम्प नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1006- पुनर्स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00
46- सजनम बांध / नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
05- बांध	
0514- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2400.00
60- पहुंज बांध परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
05- बांध	
0514- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	80.00
79- उमरहट पम्प नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1006- पुनर्स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2200.00
93- विभिन्न बैराजों / बांधों के जल यांत्रिक प्रणालियों का पुनरोद्धार की परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
05- बांध	
0514- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	140.00
07- बैराज	
0714- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	200.00
16- विभिन्न बैराजों / बांधों के जल यांत्रिक प्रणालियों के स्वचालित किये जाने संबंधी कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	120.00

योग -	460.00
कुल योग -	6840.00

लघु सिंचाई की परियोजनायें

लघु सिंचाई की निम्नांकित परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 9400.01 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 9400.01 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

101- सतही जल

03- उठाऊ सिंचाई

0329- तिलापुर पम्प नहर निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित)

24-वृहत् निर्माण कार्य

800.00

04- प्रस्यावतन योजनायें

0422- जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत बन्धियों के निर्माण की परियोजना

24-वृहत् निर्माण कार्य

600.00

योग -

1400.00

102- भू जल

03- नलकूप योजनायें

0320- राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित)

24-वृहत् निर्माण कार्य

8000.00

0321- ग्रिड ऊर्जा द्वारा संचालित राजकीय नलकूपों को सौर ऊर्जा एवं ग्रिड ऊर्जा के हाइब्रिड सिस्टम से संचालन की परियोजना (नाबार्ड पोषित)

24-वृहत् निर्माण कार्य

0.01

योग -

8000.01

कुल योग -

9400.01

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी की परियोजनायें

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी की निम्नांकित परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रुपये 295.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में रुपये 295.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
01 - बाढ़ नियंत्रण	
103 - सिविल निर्माण कार्य	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0102 - त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनाएं (ए.आई.बी.पी. पोषित)(के.25/रा.75-के.+रा.)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	200.00
0103 - त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र में नदी में सुधार व कटाव निरोधक परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (ए0 आई0 बी0 पी0) (के.100/रा.0-के.)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2400.00
06 - नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनायें	
0605 - पुनरोद्धार की परियोजनाएं (राज्य सेक्टर)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1400.00
07 - अनपेक्षित आपातकालीन कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2000.00
08 - तटबंधों का निर्माण	
0840 - तटबंधों के निर्माण / सुदृढीकरण / उच्चीकरण की परियोजनाएं	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
09 - कटाव निरोधक योजनायें	
0984 - नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	9600.00
23 - नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनायें (नाबार्ड पोषित)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	12000.00
25 - सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान	
24-वृहत् निर्माण कार्य	400.00
	29000.00
योग -	
03 - जल निकास	
103 - सिविल निर्माण कार्य	
03 - जल निकास योजनायें (राज्य सेक्टर)	
0305 - पुनरोद्धार की परियोजनाएं (राज्य सेक्टर)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	400.00
07 - जल निकास योजना (नाबार्ड पोषित)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00
	500.00
योग -	

कुल योग -

29500.00
